

वेब सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टरों में 09 फ्लैटों को वीओएफ में बदलने के लिए ई-निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना (बैंक) " भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टरों में 09 फ्लैटों को वीओएफ में बदलने के लिए " पात्र और इच्छुक फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित करता है। इस कार्य पर ₹ 40,72,515/- (जीएसटी सहित) खर्च होने का अनुमान है।

2. यह एक सीमित ई-निविदा है। केवल वे फर्म जो संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में ट्रेड - 1 (सिविल कार्य {कंक्रीट कार्य, बढ़ईगरी, सेनेटरी एवं पलंबिंग, निर्माण कार्य (स्टील एवं एलमुनियम, कार्यालय और आवासीय भवनों का नवीनीकरण, उन्नयन, संशोधन, परिवर्तन, मरम्मत आदि) में सूचीबद्ध हैं। निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड के लिए वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

3. ई-निविदा दो भागों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। ई-निविदा के भाग-1 में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी, जिन पर निविदाकारों को सहमत होना होगा। ई-निविदा के भाग- II में ऑनलाइन जमा की जाने वाली बैंक की मात्राओं की अनुसूची और निविदाकर्ता की मूल्य बोली शामिल होगी।

4. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली और काम प्रदान किए जाने के लिए विचार किए जाने की इच्छुक फर्मों को 02.07.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक या उससे पहले <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने चाहिए।

5. ई-निविदा का भाग-II 02.07.2025 को अपराह्न 03:00 बजे के बाद एमएसटीसी वेबसाइट पर खोला जाएगा। निविदा की समय-सीमा इस प्रकार है:

1	ई-निविदा क्रमांक	RBI/Patna Regional office/Estate/ 2 /25-26/ET/184 [Conversion of flats into VOF]
2	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - MSTC पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से मूल्य बोली)
3	अनुमानित लागत	₹ 40,72,515/- (जीएसटी सहित)
4	एमएसटीसी पोर्टल पर डाउनलोड के लिए निविदा दस्तावेज़ की उपलब्धता की तिथि	11.06.2025 दोपहर 02:00 बजे से
5	https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग-II (मूल्य बोली) जमा करने के लिए ई-निविदा की प्रारंभिक तिथि	11.06.2025 दोपहर 02:00 बजे से
6	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय	18.06.2025, दोपहर 12:00 बजे स्थान: दूसरी मंजिल, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना - 800001
7	बयाना राशि जमा	₹81,450/- एनईएफटी द्वारा (खाता ब्यौरा) लाभार्थी का नाम: आरबीआई पटना लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBIS0PTPA01 (5वां और 10वां शून्य है) नोट: कृपया एनईएफटी लेनदेन टिप्पणी में कार्य विवरण एवं कंपनी का नाम उल्लेख करें।

8	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	02.07.2025 दोपहर 02:00 बजे तक
9	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए ई-निविदा की अंतिम तिथि	02.07.2025 दोपहर 02:00 बजे तक
10	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि और समय	02.07.2025 दोपहर 03:00 बजे के बाद यदि बोलीदाताओं द्वारा कोई विचलन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भाग II उसी दिन खोला जाएगा। अन्यथा, भाग II किसी अन्य तिथि पर खोला जाएगा जिसकी सूचना बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।
11	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान

बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

टिप्पणी: भविष्य में जारी किए गए किसी भी संशोधन/शुद्धि-पत्र, यदि कोई हो, को केवल RBI / MSTC वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना



वेब सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 09 फ्लैटों को वीओएफ में बदलने के लिए ई-निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना (बैंक) भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 09 फ्लैटों को वीओएफ में बदलने के लिए पात्र और इच्छुक फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित करता है। इस कार्य पर केवल **40,72,515 रुपये** (जीएसटी सहित) की लागत आने का अनुमान है।

2. यह एक सीमित ई-निविदा है। श्रेणी V के तहत केवल वे फर्म जो एस्टेट विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में ट्रेड-1 (सिविल कार्य {कंक्रीट कार्य, बढ़ईगीरी, स्वच्छता और नलसाजी, फैब्रिकेशन कार्य (स्टील और एल्यूमीनियम), नवीनीकरण, उन्नयन, संशोधन, परिवर्तन, मरम्मत आदि) में सूचीबद्ध हैं, वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं। निविदा दस्तावेज डाउनलोड के लिए वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

3. ई-निविदा दो भागों में ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ई-निविदा के भाग-1 में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी, जिन पर निविदाकर्ताओं द्वारा सहमति व्यक्त की जानी चाहिए। ई-निविदा के भाग- II में बैंक की मात्रा की अनुसूची और निविदाकर्ता की कीमत बोली ऑनलाइन जमा की जाएगी।

4. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली और कार्य प्रदान करने के लिए विचार किए जाने की इच्छुक फर्मों को **02.07.2025 को दोपहर 02:00 बजे** <https://www.mstcecommerce.com/eproc/> पर या उससे पहले सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने चाहिए।

5. ई-निविदा का भाग- I एमएसटीसी वेबसाइट पर 02.07.2025 को दोपहर 03:00 बजे के बाद खोला जाएगा। निविदा की समयसीमा इस प्रकार है:

A	ई-निविदा सं.	आरबीआई/पटनाक्षेत्रीयकार्यालय/संपदा/2/2 5-26/ईटी/184 [फ्लैटों को वीओएफ में बदलना]
B	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंटप्रणाली एमएसटीसी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/eproc/ n/ के माध्यम से (ऑनलाइन भाग I -

		तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II-कीमत बोली.
C	अनुमानित लागत	₹40,72,515/- (रुपये चालीस लाख बहत्तर हजार पांच सौ पंद्रह रुपये) (जीएसटी सहित)
D	एमएसटीसी पोर्टल पर डाउनलोड के लिए निविदा दस्तावेज की उपलब्धता की तिथि	11.06.2025 को 02:00 दोपहर से
E	जमा करने के लिए ई-निविदा की प्रारंभिक तिथि: https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग-II (कीमत बोली)	11.06.2025 को 02:00 दोपहर से

F	बोली पूर्व बैठक की तिथि और समय	18.06.2025 को 12:00 बजे अपराह्न को स्थान: दूसरी मंजिल, संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना – 800 001
G	बयाना धन जमा (केवल एनईएफटी के माध्यम से)	एनईएफटी द्वारा ₹81,450/- (81,450/- रुपये मात्र) से लाभार्थी का नाम: आरबीआई पटना लाभार्थी का खाता सं: 186003001 आईएफएससी: RBIS0PTPA01 (5वीं और 10वीं शून्य है) नोट: कृपया एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में कार्य विवरण और कंपनी के नाम का उल्लेख करें।
H	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	02.07.2025 को 02:00 अपराह्न
I	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली जमा करने के लिए ई-निविदा की अंतिम तिथि	02.07.2025 को 02:00 अपराह्न
J	भाग- I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय	02.07.2025 को 03:00 अपराह्न से, भाग II उसी दिन खोला जाएगा यदि बोलीदाताओं द्वारा किसी भी प्रकार का विचलन प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अन्यथा, भाग II किसी अन्य तारीख को खोला जाएगा जिसके बारे में बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
K	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी पेमेंट गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान

बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

नोट: भविष्य में जारी किए गए निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई की वेबसाइट/एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक, पटना



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
पटना

भाग - I

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 9 फ्लैटों को वीओएफ में बदलना

के लिए ई-निविदा

निविदाकर्ता का नाम:

पता:

(नोट: इस दस्तावेज़ में दर उद्धृत न करें। सभी दरों को एमएसटीसी पोर्टल में ऑनलाइन उद्धृत किया जाना चाहिए। चार्ट में सभी मद केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के रूप में दिखाए गए हैं)

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। उक्त उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को जवाब देने के उद्देश्य को छोड़कर, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर इसकी प्रतिलिपि, वितरण या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपत्ति विभाग, पटना ने इच्छुक पार्टियों को परियोजना की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई अभ्यावेदन व्यक्त या निहित करते हैं इसके सहयोग से।

जानकारी सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी। इस ई-निविदा के उत्तरदाताओं को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी और उन्हें केवल ई-निविदा दस्तावेजों/प्रपत्रों में निहित जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि प्रतिवादियों द्वारा कोई उचित परिश्रम नहीं किया जाता है तो इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक जिम्मेदार नहीं है।

सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए गैर-बाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास परियोजना के साथ आगे न बढ़ने या परियोजना के विन्यास को न बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अनुक्रम

क्रम सं.	मद विवरण	पृष्ठ सं.
1	निविदा की अनुसूची (एसओटी)	04
2	ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना	05-06
3	महत्वपूर्ण निर्देश	07-13
4	ज्ञापन	14-15
5	प्रस्ताव पत्र	16-18
6	करार की शर्तें	19-24
7	सुरक्षा कोड	25-27
8	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम एवं शर्तें	28-41
9	यहां की शर्तें पहले संदर्भित की गई हैं	42-61
10	विशेष शर्तें	62-63
11	विशेष विवरण	64-67
12	परिशिष्ट जो यहां से पहले संदर्भित है	68
13	सामान्य शर्तें	69-71
14	स्वीकृत सामग्री और आपूर्तिकर्ताओं की सूची	72-73
15	अनुलग्नक-I	74-75
16	अनुलग्नक-II	76-77
17	अनुलग्नक-III	78-80
18	मात्रा और कार्य के दायरे की अनुसूची	81-89



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग पटना

ई-निविदा भाग-I
खंड A

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 09 फ्लैटों को विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट (वीओएफ) में बदलना

क्रम संख्या	गतिविधि	संभावित तिथि
1.	निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि	11.06.2025
2.	ई-निविदा नं.	आरबीआई/पटना क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/2/25-26/ईटी/184 [फ्लैटों का रूपांतरण वीओएफ]
3.	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) के माध्यम से ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - कीमत बोली)
4.	एनआईटी की तिथि (पूर्ण निविदा के साथ) पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध - निविदा पोर्टल पर सक्रियण- सभी के लिए 'लाइव' निविदा	11.06.2025 को 02:00 अपराह्न
5.	बोली पूर्व बैठक की तिथि (संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य भवन में) (ऑफलाइन)	18.06.2025 को दोपहर 12.00 बजे (ऑफलाइन)
6.	अनुमानित लागत	₹40,72,515/-
7.	बयाना धन जमा	सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं से 81,450/- रुपये

8.	बोली शुरू करने की तिथि- www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	11.06.2025 को 02:00 अपराह्न
9.	बोली बंद होने की तिथि - वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	02.07.2025 को 02:00 बजे अपराह्न
10.	भाग-I (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय: भाग-II (कीमत बोली): भाग-II (कीमत बोली) या तो उसी दिन या बाद की तारीख में खोला जाएगा जिसके बार में विक्रेताओं को पूर्व में सूचित किया जाएगा	02.07.2025 को 03:00 बजे अपराह्न से



**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपत्ति विभाग पटना**

खंड-B

ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 09 फ्लैटों को विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट (वीओएफ) में बदलना

1.	भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टरों में 9 फ्लैटों को वीओएफ में बदलने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस कार्य पर 40,72,515/- रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसे 100 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है (चरणबद्ध तरीके से, यदि फ्लैट सौंप दिए जाते हैं, फ्लैट सौंपने की तारीख से प्रत्येक फ्लैट को पूरा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा)
2.	यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल पर निष्पादित की जाएगी।
3.	बैंक को संतुष्ट करने के इच्छुक निविदाकारों की विफलता की स्थिति में; बैंक का अधिकार सुरक्षित है कि उनकी भागीदारी से इनकार करें।
4.	निविदा फॉर्म 11.06.2025 को 02:00 बजे अपराह्न से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। 18.06.2025 को दोपहर 12:00 बजे आरबीआई पटना के संपदा विभाग में बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी।
5.	निविदा फॉर्म देखने हेतु www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi से डाउनलोड किया जा सकता है।
6.	इच्छुक विक्रेता/फर्म www.mstcecommerce.com/eprocurement/rbi के साथ पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - कीमत बोली www.mstcecommerce.com/eprocurement/rbi के माध्यम से खोली जाएगी और फर्म द्वारा लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान किया जाना होगा।

7.	निर्धारित प्रारूप में निविदा दो भागों में प्रस्तुत/अपलोड की जाएगी। निविदा के भाग-1 में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें, निविदाकारों का कवरींग लेटर, ₹81,450/- का ईएमडी एनईएफटी हस्तांतरण के माध्यम से खाता संख्या-186003001, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईएफएससी कोड-RBISOPTPA01, शाखा का नाम - पटना, शाखा का पता - दक्षिण गांधी मैदान, पटना - 800001 या भारतीय रिज़र्व बैंक पटना के पक्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में बैंक के मानक प्रपत्र में जो निविदा दस्तावेजों के साथ निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। ईएमडी से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन किया जाना चाहिए और पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
----	---

	निविदा के भाग- II में कोई शर्त नहीं होगी , लेकिन निविदाकर्ता की कीमत बोली , बैंक की मात्रा की अनुसूची, निविदा आहरण, यदि कोई हो, केवल शामिल होगी।
8.	निविदाओं का भाग- I निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी पोर्टल में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे आरबीआई द्वारा 02.07.2025 को दोपहर 03:00 बजे के बाद खोला जाएगा। जो निविदाकर्ता अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए अपने प्रतिनिधियों को संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान में प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। निविदा का पार्ट II बाद में खोला जाएगा। इसके लिए उचित सूचना दी जाएगी।
9.	बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

स्थान:

दिनांक:

फर्म के नाम की मुहर के साथ

हस्ताक्षर:



**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, पटना**

खंड – C

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

A) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर कीमत बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: कीमत बोली और वाणिज्यिक बोली

केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन सबमिट किया जाना चाहिए (संस्करण 3)

1) विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com/eprocn/ के साथ

खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं।

विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त

होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

सम्पर्क विवरण:

a) विक्रेताओं के लिए संपर्क व्यक्ति

(एमएसटीसी): एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क:

(विक्रेताओं के लिए) फोन

नंबर:07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल

भेजते समय विषय के रूप में "एचओ

हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

उपलब्धता

सभी तकनीकी मुद्दों ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

b) संपर्क सूत्र (MSTC)

- 1) श्री मलय मंडल- bmpatna@mstcindia.in मोबाइल-9831368791
- 2) श्री अमित कुमार गौतम – ptnopn1@mstcindia.in मोबाइल-9886624201
- 3) श्री मयंक कुमार- ptnopn3@mstcindia.in मोबाइल-8269000225
- 4) श्री प्रशांत मालवीय- ptnopn2@mstcindia.in मोबाइल- 9899972556

c) संपर्क सूत्र RBI

तकनीकी पूछताछ के लिए

- 1) शुभ राज (सप्र-तकनीकी सिविल) - - ईमेल- shubhraj@rbi.org.in मोबाइल : 7303612701


सामान्य पूछताछ के लिए

- 2) पंकज कुमार साहू (प्रबंधक), ईमेल – pk_sahu@rbi.org.in मोबाइल - 9919729441
- 3) मयंक राज (सप्र), ईमेल - mayankraj@rbi.org.in मोबाइल - 8102478560

गाइड

1) सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है



लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट: वेंडर अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके अथवा "इवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क भुगतान" के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / वेंडर को एनईएफटी अथवा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / वेंडर फॉर्म भरकर चालान तैयार करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / वेंडर चालान पर छपे विवरणों के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन किए बिना लेनदेन शुल्क राशि भेजेंगे। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / वेंडर अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा प्राप्त करेंगे। जब भुगतान MSTC के नामित बैंक खाते में जमा हो जाएगा, तो लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से प्राधिकृत हो जाएगा।

लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं मिलेगी।

नोट: निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से भेज दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।

- निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
- एनआईटी (निविदा आमंत्रित करने की सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-

निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

5. ई-निविदा में बोली:

नोट: वेंडर/रों को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'मेरे मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें' लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर विशेष ई-निविदा के विरुद्ध 'दस्तावेज़ संलग्न करें' लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए, कृपया विक्रेता/वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

- a) निविदाकर्ता को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करने की आवश्यकता है। लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, अप्रतिदेय है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल निविदाकर्ता (ओं) के ईएमडी को आरबीआई द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
- b) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ कीमत बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क > सामान्य शर्तें -> दस्तावेज़ संलग्न करें -> कीमत बोली पाथ को फॉलो करके इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और कीमत बोली जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, वेंडर अपने लॉगिन में अटैच डॉक्यूमेंट और सामान्य शब्द टैब सक्षम पाएगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, वेंडर/रों को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के विरुद्ध अपनी कीमत बोली जमा करने या कीमत बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच किए गए दस्तावेज़ और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और कीमत बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिया जाएगा। क्या यह सफल/लंबित है, इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

- c) सबसे पहले, वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर वेंडर को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, निविदाकर्ता को

अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, कीमत बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर निविदाकर्ता को अपनी कीमत बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, निविदाकर्ता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

- d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- e) **पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।**
- f) ई-निविदा फ्लोर पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- g) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।**
- h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां कक्षा III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- i) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो।

- j) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। **किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करना** ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।
- k) माप की इकाई) **UOM** (ई-निविदा फ्लोर में दर्शाया गया है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

ई-निविदा में बोली:

- a) ₹81,450/- की राशि के लिए बयाना राशि जमा सभी बोलीदाताओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के पक्ष में आहरित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट या अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी (प्रारूप अनुलग्नक II के अनुसार) के रूप में बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।
- b) एनईएफटी/आरटीजीएस लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है।

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना आईएफएससी:

RBISOPTPA01

खाता संख्या: 186003001

लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा।

बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे estatepatna@rbi.org.in को लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ विप्रेषण का प्रमाण भेजें।

ऐसी निविदा जिस पर ऐसे ईएमडी के साथ नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को नियत समय में निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

- c) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
- d) जिन विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभागों → आरबीआई → मेरे

मेनू के तहत लॉगिन→ नीलामी फ्लोर मैनेजर→ लाइव इवेंट →लाइव इवेंट का चयन) में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।

- e) विक्रेता के पास जावा एप्लिकेशन चलाना चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद, उन्हें तकनीकी बोली पर क्लिक करना चाहिए। यदि यह जावा एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
- f) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेताओं को इसे रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार जब वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और विवरण भर जाता है, तो विक्रेताओं को वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों को सहेजने के बाद, विक्रेता को बोलियां पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक करना होगा।
- g) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- h) सभी मामलों में, विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
- i) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- j) ई-निविदा का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- k) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी।
- l) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- m) क्रेता को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा कि मामला हो सकता है, बिना कोई कारण बताए के।

निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।

इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए

<https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi> पृष्ठ पर जाकर विक्रेता गाइड को पढ़ें और वीडियो देखें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे जीएसटी सहित दरों का उल्लेख करें। उद्धृत दरों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।



**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपत्ति विभाग पटना**

खंड - D

ज्ञापन

उपरोक्त कार्य ज्ञापन (और निष्पादित किए जाने वाले कार्य के अन्य विवरण) की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाले के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर कीमत बोली में निर्दिष्ट दरों पर और बैंक के विनिर्देशों के अनुसार उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

संविदा की शर्तों से खुद को परिचित होने के संबंध में निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 09 फ्लैटों को वीओएफ में बदलना
a)	अनुमानित लागत	₹ 40,72,515/-
b)	बयाना धन जमा	सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं से 81,450/- रुपये
c)	कार्यों को पूरा करने के लिए दिया गया समय	कार्य आदेश जारी होने के 14वें दिन से 100 कैलेंडर दिन* *यदि फ्लैटों को चरणबद्ध तरीके से सौंप दिया जाता है, तो प्रत्येक फ्लैट को पूरा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
d)	आरए और अंतिम बिलों से काटे जाने वाले प्रतिधारण धन	कार्य के अंतिम मूल्य का पांच प्रतिशत (5%)
e)	दैनिक आधार पर कार्य से उत्पन्न कचरा परिसर से न हटाने के लिए जुर्माना	कार्य की शुरुआत होने पर ₹1000.00 प्रति दिन

f)	(कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी @ संविदा मूल्य का 5%)/ प्रस्तुत नहीं करने पर या प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए जुर्माना	बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से राशि वसूल की जाएगी।
g)	बीमा प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए जुर्माना	रु. 100 जारी होने के 14वें दिन से प्रति दिन काम का आदेश।
h)	काम में देरी के लिए परिसमापन हर्जाना	परिसमापन क्षति की वसूली कुल निष्पादित कार्य राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक कुल निष्पादित कार्य की लागत के 0.25% की दर से होगा।

i)	आरए बिल का भुगतान	रु. 20 लाख या 4 फ्लैटों का नवीनीकरण कार्य पूरा होना
----	-------------------	---

यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इस संबंध में बैंक के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक को **साथ डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/बैंकर चेक** के रूप में **81,450/-** रुपये की राशि जमा करने का वचन देते हैं, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि मैं/हम संविदा को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

हमारे बैंकर हैं:

i) _____

ii) _____

हमारी कंपनी के मालिक / फर्म के भागीदार के नाम और पते निम्नलिखित हैं:

i) _____

ii) -----

iii) _____

iv) -----

मैसर्स _____

के लिए और उनकी ओर से

फर्म के भागीदार की मुहर के साथ हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम

स्थान:

दिनांक:

(उपरोक्त हस्ताक्षर की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए।)



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, पटना

प्रस्ताव पत्र

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

दक्षिण गांधी मैदान, पटना

800001

प्रिय महोदय,

हमने इस ज्ञापन में उल्लिखित कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, ड्राइंग्स, डिजाइन्स और मात्राओं की अनुसूची का अध्ययन किया है तथा उक्त ज्ञापन में उल्लिखित कार्य स्थल का दौरा करके निरीक्षण किया है। हमने निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की है। अतः हम यहाँ घोषणा करते हैं कि हम उक्त ज्ञापन में उल्लिखित कार्यों की आपूर्ति और कार्यान्वयन उक्त ज्ञापन में निर्धारित समय के भीतर, संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर, निविदा की शर्तों, करार की शर्तों, विशेष शर्तों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा की शर्तों में उल्लिखित विनिर्देशों, ड्राइंग्स, डिजाइन्स और निर्देशों के अनुसार, तथा जिन सामग्रियों का प्रावधान किया गया है, और अन्य सभी दृष्टियों से ऐसी शर्तों के अनुसार करेंगे, जो लागू हो सकती हैं।

ज्ञापन

(क)	काम का नाम	:	भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 9 फ्लैटों को वीओएफ में बदलना
(ख)	काम की अनुमानित लागत	:	₹ 40,72,515/-
(ग)	बयाना धन जमा (EMD)	:	सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं से ₹ 81,450/-

(घ)	कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश के दसवें दिन से कार्य पूरा करने के लिए समय दिया गया है	:	100 दिन* *यदि फ्लैटों को चरणबद्ध तरीके से सौंप दिया जाता है, तो प्रत्येक फ्लैट को पूरा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
-----	--	---	---

2. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा संविदा की उक्त शर्त के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या डिफॉल्ट रूप से ईएमडी को जब्त करने और उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
3. हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि जमा के रूप में डिमांड ड्राफ्ट या अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में ₹ 81,450/- **की राशि जमा की** है, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं है। यदि मुझे/हमें ऐसा करने के लिए कहा जाता है और मैं/हम संविदा को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम इस बात से सहमत हैं/ हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

4. हमारे बैंकर हैं: i)

ii)

5. हमारी फर्म के मालिक/ भागीदारों के नाम हैं:

i) _____

ii) _____

फर्म के भागीदार का नाम

हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत

या

संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर

ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का

नाम (पावर की प्रमाणित प्रति

अटॉर्नी का संलग्न किया जाना चाहिए)।

भवदीय

ठेकेदार के हस्ताक्षर

[नोट: यदि पार्टी एक मालिकाना फर्म या एक व्यक्ति है, तो उस पर मालिक या व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि पार्टी एक साझेदारी फर्म है, तो उस पर सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म/इनकॉर्पोरेट कंपनी है, तो फर्म की सामान्य मुहर को उसके निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार लगाया जाना चाहिए। _____

(संकल्प की प्रति संलग्न की जाए)। यदि ठेकेदार सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड को आर्टिक्ल्स ऑफ एससोसिएशन में सीलिंग खंड के साथ मिलान करना चाहिए।

गवाह:

1) _____

(हस्ताक्षर)

पता _____

2) _____

(हस्ताक्षर)

पता _____

करार की शर्तें

करार वर्षकेदिनांकको भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना (जिसे इसके बाद "नियोक्ता" कहा जाएगा) प्रथम पक्ष और..... द्वितीय पक्ष (जिसे इसके बाद "ठे के दार" कहा जाएगा) के बीच किया गया है।

जबकि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टरों में 9 फ्लैटों को वीओएफ में बदलने का इच्छुक है।"

और बैंक के इंजीनियर के निर्देशन में किए जाने वाले कार्य को दर्शाने और वर्णन करने के लिए ड्राइंग और मात्रा की अनुसूची तैयार की है।

और जबकि उक्त विनिर्देशों, मात्रा और रेखाचित्रों की अनुसूची पर पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों के अधीन और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और संविदा की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा गया है) पर निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, उक्त चित्र पर दिखाए गए कार्य और/या उक्त विनिर्देश में वर्णित हैं और उसमें संबंधित दरों पर मात्रा की अनुसूची में शामिल हैं उसमें प्राप्त राशि या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी (जिसे इसके बाद 'उक्त संविदा राशि' के रूप में संदर्भित किया गया है)

अब इस पर इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

- 1) उक्त शर्तों में निर्धारित समय पर और जिस तरीके से भुगतान किया जाना है, उस पर विचार करते हुए, ठेकेदार उक्त शर्तों पर और उसके अधीन उक्त आरेखों पर दिखाए गए कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा और उक्त आरेखों में वर्णित है और उक्त विनिर्देशों और मात्रा की अनुसूची में वर्णित है।
- 2) बैंक ठेकेदार को उक्त संविदा राशि, या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय

पर और तरीके से देय हो जाएगी। उक्त शर्तों और परिशिष्टों को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इसके लिए पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, खुद को प्रस्तुत करेंगे और उक्त शर्तों में क्रमशः अपनी ओर से करार का पालन करेंगे।

- 3) यहां उल्लिखित योजनाएं, करार और दस्तावेज इस संविदा का आधार बनेंगे।
- 4) यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही एक आंशिक कार्य संविदा है, बल्कि दरों और संभावित मात्रा की अनुसूची में निहित दरों पर या उक्त शर्तों में प्रदान की गई दरों पर वास्तविक मापी गई मात्रा के अनुसार भुगतान किए जाने वाले पूर्ण कार्य के लिए एक संविदा है।
- 5) ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सिविल कार्यों और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा, और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्शों आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।
- 6) बैंक इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी कार्य वस्तु को जोड़कर या छोड़कर या उसी के कुछ हिस्सों को पूरा करके कार्य के चित्र और प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 7) **अप्रकटीकरण खंड:** ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक छोड़कर संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के अप्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त के पालन करने में विफल रहने पर ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने

के दायित्व का पूरी तरह से पालन किया गया है और संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति के बाद भी लागू रहेंगे।

- 8) **यौन उत्पीड़न की रोकथाम:** सेवा प्रदाता/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करेगी।
- a) बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में सेवा प्रदाता एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, शिकायत सेवा प्रदाता/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और सेवा प्रदाता/एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
 - b) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
 - c) सेवा प्रदाता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, यदि घटना में सेवा प्रदाता के कर्मचारी शामिल हैं, उदाहरण के लिए बैंक कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि सेवा प्रदाता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।
 - d) सेवा प्रदाता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारी को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
 - e) सेवा प्रदाता अपने उन कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक परिसर के भीतर तैनात हैं।
- 9) परिसमापन हर्जाना राशि- यदि ठेकेदार संविदा में निर्धारित समय तक या समय विस्तार खंड के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्यों की अपेक्षित प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में इसे यथोचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को उस अवधि के लिए "परिसमापन हर्जाना" के रूप में निर्णित राशि का भुगतान करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी धन से परिसमापन हर्जाना (एलडी) राशि काट सकता है जो कुल निष्पादित कार्य राशि के 10% की सीमा के साथ निष्पादित कार्य की लागत के 0.25% की दर से होगी।
- 10) समय को इस संविदा का सार माना जाएगा, और ठेकेदार इसके द्वारा साइट को सौंपने के तुरंत बाद या औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के दिन के दसवें दिन से काम शुरू करने के लिए सहमत होता है, जैसा

कि उक्त शर्तों में प्रदान किया गया है, जो भी बाद में हो, और तथापि समय विस्तार की शर्तों के अधीन, 100 दिनों के भीतर पूरे कार्य को पूरा करना होगा। (यदि फ्लैटों को चरणबद्ध तरीके से सौंप दिया जाता है, तो फ्लैट सौंपने की तारीख से प्रत्येक फ्लैट को पूरा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा)।

- 11) इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल पटना में किए जाएंगे।
- 12) इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को पटना में उत्पन्न माना जाएगा और केवल पटना के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
- 13) कि इस करार के संपूर्ण भाग को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

यदि ठेकेदार एक साझेदारी या व्यक्ति है, तो इसके साक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक और व्यक्तिगत ठेकेदार ने इन कागजातों तथा इसकी दो प्रतियों पर ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए हैं।

यदि ठेकेदार एक कंपनी है, तो इसके साक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने

इन दस्तावेजों पर अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से और ठेकेदार द्वारा उसकी सामान्य मुहर लगाए गए हैं और इसके दो प्रतिलिपियों पर उल्लिखित तिथि और समय को उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

हस्ताक्षर खंड

द्वारा हस्ताक्षरित और संपूर्ण

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से

श्री _____

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

गवाहों

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपूर्द

यदि पार्टी एक साझेदारी फर्म है या

_____ की उपस्थिति में

एक व्यक्ति

द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए

(1)

सभी या सभी भागीदारों की ओर से।

पता

(2)

पता

गवाहों

की सामान्य मुहर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? _____
की उपस्थिति में

(1)

(2)

निदेशकों, जिन्होंने इन कागजातों में हस्ताक्षर किए हैं,
की उपस्थिति में

(1)

(2)

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपूर्द

यदि ठेकेदार अपनी सामान्य मुहर के
तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर
खंड को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
में सीलिंग खंड के साथ मिलान करना
चाहिए।

यदि ठेकेदार पावर ऑफ अटॉर्नी के
रूप में हस्ताक्षर कर रहा है, चाहे वह
कंपनी हो या व्यक्ति।

ठेकेदार के हाथों से

श्री

सुरक्षा कोड

- 1) निष्फल ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
- 2) एक घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
- 3) उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत डबल स्कैफोल्ड प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
- 4) कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।
- 5) खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से के भीतर, जो भी अधिक हो, नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- 6) किसी भवन के तल पर या कार्य मंच में प्रत्येक उद्घाटन को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएं जिनकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
- 7) संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य भाग मलबे या सामग्री से इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि यह असुरक्षित हो जाए।
- 8) डामर, सीमेंट मोर्टार, कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
- 9) वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
- 10) i) पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेसमास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए जब पेंट स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या सतह जिसमें लेड पेंट सूखा, रगड़ और स्क्रेप किया जाता है।

11. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को ओवरऑल की आपूर्ति की जाएगी और काम करने वाले चित्रकारों को काम की समाप्ति की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

12. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्पादन मशीनें और टैकल, जिसमें उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन शामिल हैं, सही स्थिति में होंगे।

13. सामग्री को फहराने या कम करने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।

14. सभी श्रमिकों को सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा जूते और हेलमेट प्रदान किए जाएंगे। किसी भी कामगार को सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट के बिना स्कैफोल्ड पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विद्युत सुरक्षा

1. सभी श्रमिकों, पर्यवेक्षकों को परिसर में कार्य करते समय उचित पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) पहनना चाहिए। विद्युत सुरक्षा जूते और सुरक्षा हेलमेट अनिवार्य है, अन्यथा, काम/संबंधित श्रमिकों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति केवल साइट पर उपलब्ध अधिकृत आपूर्ति बिंदुओं से ही खींची जा सकती है। ठेकेदार को आपूर्ति को अपेक्षित स्थिति में ले जाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी व्यवस्थाओं में उचित ईएलसीबी/आरसीसीबी/आरसीबीओ (अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस) उपकरण के साथ उपयुक्त लंबाई के इलेक्ट्रिक केबल/एक्सटेंशन बोर्ड शामिल होने चाहिए। अधिमानतः जोड़ों से बचना चाहिए, और यदि अनिवार्य रूप से आवश्यक है, तो सभी आवश्यक जोड़ों को इससे दूर रखा जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब काम चल रहा हो तो पूरे कार्य स्थल को हर समय ठीक से रोशन किया जाए। बिजली से संबंधित सभी कार्य एक अधिकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा किए जाएंगे। वायर्ड लाइट फिटिंग को फॉल्स सीलिंग आदि के ऊपर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में नहीं ले जाना चाहिए और इसके बजाय पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली चार्जिंग लाइट का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. कार्य स्थल के उचित स्थानों पर अच्छी मात्रा में आवश्यक बैरिकेडिंग और साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे।

4. जब भी लिफ्टों, बिजली के पैनलों आदि के लिए रखरखाव का काम होता है, तो उल्टे वी प्रकार के साइनेज

को " रखरखाव का कार्य जारी है -संपदा विभाग" दिखाते हुए रखा जाएगा।

5. एएमसी कार्यों सहित सभी कार्यों में बीमा पॉलिसियां ली जाएंगी और उन्हें यथोचित रूप में बनाए रखा जाना चाहिए।
6. विद्युत सुरक्षा के संदर्भ में 'क्या करें और क्या न करें' सभी श्रमिकों के साथ साझा किए जाएंगे।
7. ठेकेदारों को विद्युत सुरक्षा के बारे में अपने श्रमिकों के साथ समय-समय पर ब्रीफिंग (पेप वार्ता) करनी चाहिए।
8. स्टील की सीढ़ियों पर उचित रबर इन्सुलेशन होना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इन सीढ़ियों को विद्युत सुरक्षा रबर मैट पर रखा जाएगा और फिर बिजली के झटके को रोकने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा।
9. निर्माण/नवीनीकरण कार्यों, कार्यालय परिसर आदि के लिए विद्युत सुरक्षा सहित औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण समय-समय पर एलएंडटी प्रशिक्षण केंद्र आदि जैसे पेशेवरों/विशेषज्ञों द्वारा ठेकेदारों, श्रमिकों, तकनीकी और सामान्य कर्मचारियों आदि को दिया जा सकता है।

तिथि:

स्थान:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:

ठेकेदार का नाम और पता:

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम एवं शर्तें

ई-निविदा के भाग I के विवरण में विधिवत भरी गई निविदाओं को **"भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 9 फ्लैटों को वीओएफ में बदलने"** के कार्य के लिए आरबीआई पोर्टल के तहत एमएसटीसी वेबसाइट पर 02.07.2025 को दोपहर 02.00 बजे तक अपलोड किया जाना चाहिए।

1. निविदा का भाग I 02.07.2025 को दोपहर 03:00 बजे के बाद खोला जाएगा और निविदा का भाग II उसी दिन या बाद की तारीख को खोला जाएगा और इस संबंध में पूर्व सूचना सभी पात्र विक्रेताओं को भेजी जाएगी। निविदाएं निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेंगी, जिसकी अवधि आपसी करार द्वारा बढ़ाई जा सकती है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द नहीं करेगा या वापस नहीं लेगा। कीमत बोली भाग-II के खुलने की तारीख से 100 दिनों तक वैध रहेगी।
2. डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग निविदा की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों, विशेष शर्तों आदि के साथ स्वयं को परिचित होने के टोकन में निविदा जमा करने के लिए किया जा सकता है।
3. यदि कोई दस्तावेज गायब है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अमान्य माना जा सकता है। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. **₹ 81,450/-** की राशि के लिए **बयाना राशि** जमा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। एनईएफटी/आरटीजीएस लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है।

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, पटना

आईएफएससी: RBIS0PTPA01

खाता संख्या: 186003001

5. लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे estatepatna@rbi.org.in को लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ विप्रेषण का प्रमाण भेजें।
6. ईएमडी को संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी ([अनुलग्नक II](#)) के रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी निविदा जिस पर ऐसे ईएमडी के साथ नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. सफल निविदाकर्ता द्वारा भुगतान की गई 81,450/- रुपये की बयाना राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संविदा के निष्पादन और उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
8. **प्रतिधारण धनराशि** - ठेकेदार द्वारा संविदा की उचित पूर्ति के लिए एक और सुरक्षा के रूप में बयाना धन जमा के अलावा, किए गए कार्य के मूल्य का 5% नियोक्ता द्वारा प्रतिधारण धनराशि के लिए ठेकेदार को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान से काट लिया जाएगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा कार्य के वर्चुअल समापन का प्रमाण पत्र जारी करने पर, ठेकेदार को ईएमडी की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। दोष देयता अवधि के दौरान बताए गए दोषों को दूर करने के बाद बैंक द्वारा जमा प्रतिधारण धनराशि जारी किया जाएगा। बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए किसी निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक पर दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच निविदा में उल्लिखित कार्य को उप-विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार को उद्धृत दरों पर उनके पास रखी गई मदों के हिस्से के लिए आदेशों को निष्पादित करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक भी मात्रा को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यहां तक कि आदेश दिए जाने के बाद काम की किसी भी वस्तु को छोड़ देता है और ठेकेदार इसे निष्पादित करेगा। इस संदर्भ में, प्रत्येक वस्तु के लिए उद्धृत दरें स्वावलंबी और प्रासंगिक होनी चाहिए।
11. **संविदा करार:** भारतीय रिज़र्व बैंक से निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता को संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर संविदा को कार्यान्वित करना होगा। सफल निविदाकर्ता को करार के प्रारूप तथा शर्तों की अनुसूची के अनुसार करार पर हस्ताक्षर करने होंगे, किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक तथा ऐसा निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे बाद में ऐसा औपचारिक करार निष्पादित किया जाए या नहीं।
12. **ठेकेदार** संविदा का हस्तांतरण नहीं करेगा: वह रिज़र्व बैंक की लिखित स्वीकृति के बिना संविदा के किसी भी भाग को उप-ठेके पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, रिज़र्व बैंक ठेकेदार पर लिखित सूचना जारी कर सकता है जिसमें संविदा को रद्द करने की घोषणा की जाए, जिसके फलस्वरूप ठेकेदार के विरुद्ध अन्य उपायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना सुरक्षा राशि रिज़र्व बैंक के पक्ष में जब्त हो जाएगी।

13. ठेकेदार सभी कार्यों को ड्राइंग, विवरण और निर्देशों और बैंक के इंजीनियर के अनुसार सख्ती से करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में डिजाइन में परिवर्तन किया जाना है और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, वे चाहते हैं कि ठेकेदार इसे पूरा करे, ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा। ऐसे मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।
14. इन प्रत्येक कार्य और विनिर्देशों के संबंध में संभावित मात्राओं की अनुसूची इन विशेष शर्तों के साथ संलग्न है। संभावित मात्राओं की अनुसूची रिज़र्व बैंक की इच्छानुसार उपेक्षा, कटौती या अतिरिक्त जोड़ द्वारा परिवर्तन के अधीन है। प्रत्येक निविदा में केवल दरों के साथ-साथ प्रत्येक कार्य वस्तु का मूल्य भी अलग स्तंभ में दर्शाया जाना चाहिए तथा सभी वस्तुओं का योग किया जाना चाहिए ताकि निविदा का कुल मूल्य दर्शाया जा सके।
15. निविदाकर्ता, कार्य के पुरस्कार के लिए विचार किया जा रहा है, बैंक के साथ प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार करना चाहिए, एक बैंक (वित्तीय) गारंटी (किसी भी अनुसूची वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की जाने के लिए) (संलग्न प्रारूप के अनुसार) कुछ निर्दिष्ट राशि (सावधानी धन) के लिए उनके संविदा के उचित प्रदर्शन के लिए, यदि प्रदान किया जाता है, तो कम / असामान्य रूप से कम / अव्यावहारिक दरों, काम की मदों के संबंध में इस तरह की बैंक गारंटी जमा करना कार्य प्रदान करने के लिए एक पूर्व शर्त होगी।
16. निविदाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी और अपने खर्च पर स्वयं के लिए वह सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा दाखिल करने तथा संविदा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है, नक्शों का अध्ययन करना चाहिए, कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए तथा सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुँच के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से अवगत होना चाहिए।
17. **भाग II में वस्तुओं के लिए दरों को जीएसटी सहित उद्धृत किया जाना चाहिए।** प्रत्येक चालान/बिल में अन्य बातों के अलावा, ठेकेदार का पैन और जीएसटी पंजीकरण संख्या का उल्लेख होगा। ठेकेदार बैंक को प्रेषण से उचित समय के भीतर जीएसटी के प्रेषण का पर्याप्त प्रमाण भी प्रस्तुत करेगा। संविदा मूल्य भी कानून के अनुसार टीडीएस/विदहोल्लिंग टैक्स के अधीन होगा।
18. a) निविदा में उद्धृत दरों में सभी आपूर्तियों के लिए आपूर्ति, स्थापना (असेंबली), परीक्षण, पैकिंग, हैंडलिंग और परिवहन के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे। इन दरों में भंडारण, घड़ी और वार्ड, अस्थायी संरचनाएं, रात में प्रकाश व्यवस्था, उपकरण और टैकल, निर्माण और कमीशनिंग कार्यों के लिए श्रम और अन्य सेवाएं शामिल हैं।
b) दरें निश्चित होंगी और विनिमय भिन्नताओं, श्रम की स्थिति, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी।
19. अतिरिक्त अतिरिक्तों आदि की कीमतें और निर्धारण:

a) ठेकेदार, जब रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में अधिकार प्रदान किया जाए, तो आरेखों पर दर्शाए गए, विनिर्देशों में वर्णित या मात्राओं की अनुसूची में सम्मिलित कार्यों में जोड़, छोड़ या परिवर्तन कर सकता है, परंतु ठेकेदार कोई जोड़, छोड़ या परिवर्तन बिना ऐसे अधिकार या निर्देश के नहीं करेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा मौखिक अधिकार या निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि किया जाए, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा। किसी अतिरिक्त कार्य का दावा तभी स्वीकृत किया जाएगा जब वह रिज़र्व बैंक के लिखित अनुमोदन से किया गया हो। ऐसे अतिरिक्त कार्यों को यहां 'प्राधिकृत अतिरिक्त' कहा गया है तथा भुगतान निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:

i) जब अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो तथा उसी प्रकार की परिस्थितियों में किया गया हो जैसे मूल निविदा में कीमतें निर्धारित की गई हैं, तो मूल निविदा में निर्धारित शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का आधार होंगी। सभी वस्तुओं के लिए दरें जहां संभव हो, कीमतित मात्राओं की अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जाएंगी।

ii) छोड़े गए वस्तुओं का मूल्य मूल निविदा की शुद्ध कीमतों से निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते यदि छोड़े गए कार्यों के कारण शेष कार्यों को पूरा करने की परिस्थितियां बदल जाएं, तो ऐसे वस्तुओं के लिए कीमतें उप-धारा (iii) के अनुसार मूल्यांकित की जाएंगी।

iii) जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का नहीं है और/या समान परिस्थितियों में नहीं किया गया है, या छोड़े गए कार्यों के कारण शेष कार्यों को पूरा करने की परिस्थितियां बदल जाएं, या यदि निविदा कार्यों के कुल मूल्य या किसी भाग के सापेक्ष छोड़े या जोड़े गए कार्यों की मात्रा इस प्रकार की हो कि रिज़र्व बैंक के इंजीनियर की राय में, कीमतित मात्राओं की अनुसूची या निविदा में निर्धारित शुद्ध दर या कीमत, ठेकेदार द्वारा युक्तिसंगत रूप से आशंकित हानि या व्यय से अधिक हो जाए या ऐसे छोड़ने या जोड़ने के कारण अनुचित या अलागू हो जाए, तो रिज़र्व बैंक के इंजीनियर ऐसी अन्य दर या कीमत निर्धारित करेंगे जो परिस्थितियों के अनुसार उचित एवं सही लगे।

iv) जहां अतिरिक्त कार्य को ठीक से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता, ठेकेदार को निविदा या कीमतित मात्राओं की अनुसूची में दी गई शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक श्रम की कीमतें दी जाएंगी। यदि ऐसा नहीं है, तो जिले की स्थानीय दैनिक श्रम दरों एवं मजदूरी के अनुसार दी जाएंगी, बशर्ते कि किसी भी स्थिति में, दैनिक समय (और यदि रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक हो तो मजदूरों के नाम) और उपयोग की गई सामग्री का विवरण युक्त प्रमाण-पत्र, कार्य के पूरा होने के बाद अगले सप्ताह के अंत तक रिज़र्व बैंक या उसके प्रतिनिधि को सत्यापन के लिए सौंपे जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी प्राधिकृत अतिरिक्त वस्तुओं के लिए, जहां दरें निविदा से निकाली नहीं जा सकतीं, ठेकेदार को 'वास्तविक लागत आधार' पर की गई दर विश्लेषण के साथ 15% स्थापना शुल्क,

ठेकेदार के ऊपरी व्यय और लाभ के लिए दरें प्रस्तुत करनी होंगी। ऐसे वस्तुओं को मूल्य वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा।

के लिए पात्र नहीं होंगी।

(b) ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निविदा पूर्णतः वस्तु दर आधारित है तथा उसका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, कार्यान्वयन योग्य और स्वयं समर्थित होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दी गई मात्राएँ कार्य के कुल विस्तार का अनुमानित संकेत देती हैं, परंतु ये किसी भी सीमा तक भिन्न हो सकती हैं या यहां तक कि उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, जिससे संविदा का कुल मूल्य परिवर्तित हो सकता है। हालांकि, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान, यदि किसी वस्तु की मात्रा निविदा मात्राओं से 25% से अधिक हो जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की मात्राएँ, जो रिज़र्व बैंक के इंजीनियर के अधिकार से निविदा मात्रा के 25% से अधिक हों, एक अतिरिक्त कार्य वस्तु के रूप में मानी जाएंगी, जिसके लिए ठेकेदार को वास्तविक लागत आधार पर की गई दर विश्लेषण के साथ 15% स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ऊपरी व्यय और लाभ के लिए ताज़ा दरें प्रस्तुत करनी होंगी। ऐसी सभी कार्य वस्तुओं की दरें, जो वर्तमान हैं, निविदा में दिए गए आरोही सूत्र के अनुसार सामग्री और श्रम दरों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी। यदि रिज़र्व बैंक के एकमात्र विवेक से स्वीकृत निविदा से किसी भी कार्य वस्तु को छोड़ दिया जाता है, तो ठेकेदार इस आधार पर किसी दावे का हकदार नहीं होगा।

20. विलंबित समापन के लिए परिसमापन हर्जाना:

"यदि ठेकेदार संविदा में निर्धारित पूरा होने के समय तक या समय विस्तार खंड के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्यों की आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में इसे यथोचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को उस अवधि के लिए "परिसमापन हर्जाना" के रूप में निर्णित राशि का भुगतान करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और नियोक्ता हो सकता है ठेकेदार को देय किसी भी धन से परिसमापन क्षति (एलडी) राशि की कटौती करना, जो कुल निष्पादित कार्य राशि के 10% की सीमा के साथ निष्पादित कार्य की लागत के 0.25% की दर से होगी।

21. ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-संविदा में उत्पन्न होने वाली देरी या परियोजना के अन्य व्यापारियों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में या सरकार द्वारा नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री या निर्माण उद्देश्य के लिए या किसी अन्य कारण से पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में और नियोक्ता इस संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए देयता स्वीकार नहीं करता है, इस तरह के परिवर्तनों के अधीन जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

22. सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की किसी भी वस्तु को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ये आइटम मात्रा और दरों में शामिल न हों। नियोक्ता ऐसी अतिरिक्त मदों और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची लिखित रूप में जारी करेगा।

23. सफल निविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम संभव देरी के साथ और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए सुचारू रूप से आगे बढ़े।

24. **दोष देयता अवधि:** कोई भी दोष या त्रुटि जो संविदा के तहत निर्दिष्ट कार्य / या आपूर्ति और स्थापना के वास्तविक समापन की तारीख से **12 महीनों** के दौरान प्रकट हो सकता है, बैंक के इंजीनियर की राय में सामग्री या कारीगरी से उत्पन्न होता है जो संविदा के अनुसार नहीं है, बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देशों पर होगा और ऐसे उचित समय के भीतर जो उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक के मामले में बैंक अन्य व्यक्तियों को ऐसे दोषों/दोषों और क्षतिओं, हानि और व्ययों को संशोधित करने और ठीक करने के लिए नियुक्त कर सकता है और भुगतान कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप या उसके परिणामस्वरूप होने वाले या उसके आनुषंगिक व्यय को ठेकेदार द्वारा अच्छा और वहन किया जाएगा और इस तरह के नुकसान, हानि और व्यय बैंक द्वारा उससे वसूल किया जा सकता है, या बैंक द्वारा बैंक के इंजीनियरों के प्रमाण पत्र पर लिखित रूप में किसी भी देय धन से या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है, घटाया जा सकता है। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते के पारित होने के बावजूद ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता इस खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

25. **कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय:** समय संविदा का सार है। पूरे काम को 100 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है (यदि फ्लैटों को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाता है, तो फ्लैट सौंपने की तारीख से प्रत्येक फ्लैट को पूरा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा)। ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह निविदा का हवाला देने से पहले साइट का दौरा करे और सामान्य और स्थानीय साइट की स्थितियों, विशेष रूप से, परिवहन, हैंडलिंग, भंडारण आदि से संबंधित स्थितियों से पूरी तरह परिचित हो जाए। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर, आरबीआई पटना में वितरित और निष्पादित करना होगा।

26. **विनिर्देशों के अनुरूप सामग्री** - सामग्री, कार्य आदि पर परीक्षण

i) सभी सामग्री और कारीगरी, जहां तक संभव हो, मात्राओं की अनुसूची तथा रिज़र्व बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। ठेकेदार रिज़र्व बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर यह संतुष्टि प्रदान करेगा कि ये आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, तथा यदि आवश्यकता हो तो इस उद्देश्य के लिए सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

ii) ठेकेदार अनुमोदित कार्यक्रम में निर्धारित तिथियों से पहले, अर्थात् समय पर, आवश्यक सभी सामग्री के लिए आदेश देगा। जहां सरकार (केंद्रीय या स्थानीय) या किसी अन्य केंद्रीय/राज्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित सामग्री की वसूली या वितरण का मामला है, जिसके लिए नियोक्ता को किसी प्रमाणपत्र को जारी करने या लाइसेंस/परमिट के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, ठेकेदार का एकमात्र दायित्व होगा कि वह अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार समय पर सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की व्यवस्था करे तथा संबंधित अधिकारियों और स्थापनाओं के साथ मामले का अनुसरण करे। नियोक्ता इस संबंध में विलंब के लिए किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेगा, न ही ठेकेदार द्वारा समय पर कार्यवाही न करने के कारण लगने वाले जुर्माने, दंड, विलंब शुल्क आदि का भुगतान करेगा। ठेकेदार किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए औपचारिकताओं के पूरा न होने या संबंधित अधिकारियों के विलंब का हवाला देकर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा।

iii) तथापि, ठेकेदार सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश देने से पूर्व, अपने व्यय पर, कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के नमूने, जिनमें पेटेंटिड उत्पाद तथा विशिष्ट ब्रांड के उत्पाद शामिल हैं, समय रहते रिज़र्व बैंक के इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा, भले ही ऐसे उत्पादों और ब्रांडों को पहले से रिज़र्व बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता द्वारा मंजूरी मिल चुकी हो; ऐसी पूर्व मंजूरी, नमूनों की स्वीकृति संबंधी नियम को छोड़ने का अर्थ नहीं होगी। सभी मामलों में, जब निर्माता/उत्पादक के पास अपने सामान/वस्तुओं/उत्पादों/प्रक्रियाओं/उपकरणों के लिए परीक्षण प्रमाणपत्र हों, ठेकेदार द्वारा नमूनों के साथ ऐसे परीक्षण प्रमाणपत्रों की फोटोस्टैट प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी।

iv) रिज़र्व बैंक के इंजीनियर, नमूनों की आपूर्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर या प्रत्येक मामले के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त समय के भीतर, ठेकेदार को सूचित करेंगे कि नमूने उनके द्वारा स्वीकृत हैं या नहीं। यदि नमूने स्वीकृत नहीं होते, ठेकेदार तुरंत विनिर्देशों के अनुरूप नए नमूने रिज़र्व बैंक के इंजीनियर की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा।

v) स्वीकृत नमूनों पर स्पष्ट पहचान चिह्न लगाकर, ठेकेदार अपने व्यय पर, निर्माण अवधि भर तथा कार्य के वास्तविक समाप्ति की तिथि के एक माह तक, स्थल पर प्रदर्शित रखेगा, ताकि रिज़र्व बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता निःशुल्क निरीक्षण/सत्यापन कर सकें। स्वीकृत नमूने, जब तक नियोक्ता को सौंपे नहीं जाते, ठेकेदार के सुरक्षित रखरखाव में रहेंगे।

vi) ठेकेदार नियोक्ता या उसके किसी एजेंट, सेवक या कर्मचारी को किसी भी कार्य, दावे या कार्यवाही से संबंधित क्षतिपूर्ति करेगा, जो किसी पेटेंट या डिजाइन के उल्लंघन या उपयोग से संबंधित हो, तथा संविदा में शामिल किसी वस्तु, सामग्री या उसके किसी भाग के संबंध में देय कोई रॉयल्टी या अन्य शुल्क भी चुकाएगा। यदि नियोक्ता के विरुद्ध ऐसे किसी मामले में दावा किया जाता है या कार्यवाही शुरू होती है, ठेकेदार को तुरंत सूचित किया जाएगा। यह कि ऐसी क्षतिपूर्ति लागू नहीं होगी यदि उल्लंघन संविदा से संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए हुआ हो, परंतु ठेकेदार ऐसे उपयोग के संबंध में देय कोई रॉयल्टी या अन्य शुल्क चुकाएगा, जिसकी राशि, यदि उपयोग संविदा समाप्ति के बाद जारी किए गए विनिर्देशों के कारण हुआ हो, तो ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

vii) रिज़र्व बैंक के इंजीनियर, कार्य/उसके भागों या सामग्री सहायकों पर, उनकी प्रगति के दौरान या समाप्ति पर, आवश्यकतानुसार, या ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कार्य/स्थापना में शामिल होने वाली सामग्री पर, परीक्षण कराने का अधिकार रखेंगे, भले ही कार्य/उसके भाग या सामग्री स्वीकार कर लिए गए हों या उनका उपयोग अनुमोदित हो चुका हो।

viii) परीक्षण संबंधी धारा का दायरा, दैनिक उपयोग वाली सामान्य सामग्री/वस्तुओं के अलावा, पेटेंटिड उत्पादों तथा विशिष्ट ब्रांड के उत्पादों पर भी लागू होगा, भले ही निर्माता/उत्पादक द्वारा उपरोक्त उप-धारा-iii के अनुसार संतोषजनक परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए हों।

ix) ठेकेदार दैनिक उपयोग वाली सामान्य सामग्री/वस्तुओं के लिए आवश्यक क्षेत्र परीक्षण, रिज़र्व बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता के प्रतिनिधि की दिशा निर्देशन और उपस्थिति में, नियमित रूप से कराएगा ताकि उनकी उपयुक्तता का आकलन किया जा सके।

x) ठेकेदार स्थल पर व्यापक पंजीखाते बनाए रखेगा, जिनमें सामग्री/वस्तुओं/सामान की प्रकृति, पहचान चिह्न, तिथियां तथा सभी परीक्षणों के परिणाम अद्यतन रूप से दर्ज हों। ऐसे पंजीखातों को रिज़र्व बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता के स्थलीय प्रतिनिधि द्वारा प्रतिस्वाक्षरित करवाया जाएगा, तथा पंजीखातों के नियमित

अंश, रिज़र्व बैंक के इंजीनियर और नियोक्ता को भेजे जाएंगे। पंजीखातों का प्रारूप पारस्परिक सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

27. बिजली और पानी का शुल्क

बिजली और भंडारण कार्य के लिए आवश्यक पानी और बिजली की व्यवस्था और लागत ठेकेदार द्वारा उनकी लागत पर की जाएगी। हालांकि, बैंक ठेकेदार को पानी लेने की अनुमति देने पर भी विचार कर सकता है (यदि काम के दौरान बैंक के पास पानी की आपूर्ति पर्याप्त है)। बैंक के परिसर से बिजली और इन उद्देश्यों के लिए किए गए कार्य के कुल मूल्य का 0.75% पानी का शुल्क @ 0.75% और विद्युत शुल्क 0.25% सभी बिलों से काट लिया जाएगा और ठेकेदार को कट आउट के साथ उपयुक्त लंबाई वाले बिजली के तार/केबल, एक्सटेंशन बोर्ड की व्यवस्था करनी होगी। काटने की मशीन आदि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा बैंक के मीटर और तारों के भार के अनुसार की जाएगी, यदि वे बैंक के सामान्य क्षेत्र से बिजली का उपयोग करते हैं। यदि इस कार्य के कारण बिजली की लाइनों/बिजली के मीटर/विद्युत पैनल की कोई क्षति देखी जाती है, तो ठेकेदार को इसे अपनी लागत पर ठीक करना होगा, जिसमें विफल रहने पर बैंक ठेकेदार की सलाह के बिना ठेकेदार के बिल/सुरक्षा जमा/ईएमडी से नुकसान की लागत की वसूली करेगा। सामग्री को निर्दिष्ट स्थानों पर संग्रहीत किया जाना चाहिए जो बैंक के परिसर के अंदर किसी भी स्थान पर हो सकते हैं।

28. सफल निविदाकर्ता मात्रा की अनुसूची में दिए गए कार्य के प्रत्येक मद को पूरा करेगा और आदेश में दिए गए कार्य के पूर्ण निष्पादन के लिए जाने से पहले बैंक के इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा सुझाए गए किसी भी मामूली संशोधन/परिवर्तन को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रभावित किया जाना चाहिए।

29. जहां भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार को सभी भुगतान किए गए बिलों के सत्यापन के लिए बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसी सामग्री खरीदने से पहले बैंक के इंजीनियरों से खरीद दर को मंजूरी दी जाएगी। सामग्री की कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर किया जाएगा, जिसमें 15% ओवर हेड और लाभ की ओर होगा।

30. मूल मूल्य उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, चुंगी और सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा लगाए जाने वाले अन्य सभी शुल्कों को शामिल करते हुए कम हो जाते हैं। ठेकेदार ऐसी वस्तुओं के लिए दरों का उल्लेख करते समय परिवहन, हैंडलिंग, लोडिंग और अनलोडिंग आदि जैसे कारकों पर विचार करेगा।

31. ठेकेदार को ऊपर उल्लिखित सभी शर्तों पर विचार करते हुए और निविदा में कहीं और मात्रा की अनुसूची में दरों का उल्लेख करना चाहिए।
32. सफल निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि, बैंक राज्य/केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार चल रहे खाता बिलों से कार्य संविदा कर, वैट, शिक्षा उपकर और अधिभार आदि सहित आयकर राशि की कटौती करेगा, यदि कोई हो।
33. नियोक्ता या उसके किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि के पास संदिग्ध गुणवत्ता और कारीगरी की किसी भी सामग्री को अस्वीकार करने और/या अस्वीकार करने की शक्ति होगी।
34. **दोषपूर्ण सामग्री:** ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्री और उसके द्वारा किए गए कार्य में उत्पन्न कोई भी दोष या त्रुटि, जो कार्य के निष्पादन के दौरान या बारह महीने के भीतर प्रकट हो सकती है, भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर के विवेकानुसार ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर सात दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त करने पर प्रतिस्थापित या ठीक की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक को अन्य सरकारी या निजी एजेंसी द्वारा कार्य को निष्पादित कराने/परीक्षण कराने का अधिकार सुरक्षित है तथा ऐसी एजेंसी के निर्देश ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगे।
- 35. नमूनों की स्वीकृति:** ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर के अनुमोदन के लिए प्रत्येक आइटम का एक नमूना प्रस्तुत करना होगा, जिसका अर्थ यह नहीं है कि ठेकेदार को संविदा में विनिर्देशों और अन्य शर्तों के बारे में अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। इसके लिए ठेकेदार को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
36. कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि फ्लैट के निवासियों को न्यूनतम व्यवधान हो। इस उद्देश्य के लिए रिज़र्व बैंक के इंजीनियर के परामर्श से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
37. ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि यदि अन्यथा उल्लिखित नहीं है तो निविदा केवल वस्तु दर आधार पर है तथा उसका ध्यान इस बात पर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, कार्यान्वयन योग्य और स्वयं समर्थित होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दी गई मात्राएँ कार्य के कुल विस्तार का अनुमानित संकेत देती हैं, परंतु इनमें किसी भी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है या यहाँ तक कि उन्हें छोड़ दिया जा सकता है, जिससे संविदा के कुल मूल्य में परिवर्तन होगा। इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कार्य के दौरान मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित अतिरिक्त वस्तुएँ आती हैं, तो ठेकेदार को रिज़र्व बैंक के इंजीनियर से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए।
38. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य करने के लिए दी गई समयावधि ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन की जाएगी तथा यह

लिखित आदेश जारी होने के 14वें दिन से प्रारंभ होगी। संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य उचित सावधानी से निरंतर जारी रखा जाएगा। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा नहीं करता है, तो वह संविदा की शर्तों के खंड 21 में परिभाषित परिनिर्धारित हर्जाना का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जो रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

39. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य विनिर्देशों के अनुसार तथा विधायी प्राधिकारियों की आवश्यकताओं का पालन करते हुए किए जाएंगे और किसी भी प्रकार का विचलन अनुमत नहीं होगा।
40. चयनित निविदाकर्ता को कार्य के लिए आवश्यक सभी सामग्री प्राप्त करने की अपनी व्यवस्था करनी होगी।
41. ठेकेदार को इससे संलग्न सुरक्षा एवं अग्निसुरक्षा कोड के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
42. यदि चयनित निविदाकर्ता संविदा की किसी भी शर्त का पालन नहीं करता है, तो उसकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

मैं/हम यह घोषणा करता/करते हैं कि मैं/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु उपरोक्त निर्देशों, नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है।

1.25 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम :

- a) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी या स्थानीय शिकायत समिति द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, जैसा भी मामला हो और ठेकेदार एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
- b) बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी अन्य फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- c) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।

d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

e) ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

1.26 अप्रकटीकरण खंड:

- a) ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान सेवा प्रदाता और/या डीबी डेवलपर के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार दूसरे पक्ष की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो, और दूसरा पक्ष नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।
- b) ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व का पूरी तरह से पालन किया गया है और संतुष्ट हैं।
- c) सेवा प्रदाता के दायित्व और, संविदा करार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अप्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति के बाद भी लागू रहेंगे।

1.27 अखंडता समझौता

रिजर्व बैंक की ओर से किसी भी ऐसे लाभ की मांग या स्वीकृति न करने का वादा जो कानूनी रूप से उपलब्ध न हो। रिजर्व बैंक द्वारा सभी निविदाकर्ताओं के साथ न्याय और युक्ति के साथ व्यवहार किया जाएगा। निविदाकर्ताओं की ओर से किसी भी लाभ का वादा न करने और अन्य निविदाकर्ताओं के साथ कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक संविदाओं आदि के संबंध में कोई समझौता नहीं करना होगा। निविदाकर्ताओं द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा व्यावसायिक संबंध के भाग के रूप में प्रदान की गई किसी भी जानकारी को अन्य लोगों को नहीं देना होगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध नहीं करना होगा। निविदाकर्ताओं को एजेंटों/ब्रोकरों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतानों का खुलासा करना होगा।

निविदाकर्ताओं को अन्य किसी कंपनी के साथ किसी भी उल्लंघन का खुलासा करना होगा जो भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांत को प्रभावित कर सकता है। विदेशी निविदाकर्ताओं को भारत में एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करना होगा और भारतीय निविदाकर्ताओं को अपने विदेशी संबद्ध कंपनियों या सहयोगियों का खुलासा करना होगा।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

पता: _____

तारीख _____

सत्यापित करना _____

(हस्ताक्षर)

नाम और पता _____

तारीख _____

शर्तें, जो पहले संदर्भित की गई हैं

- इन शर्तों के निर्माण में, विनिर्देश, मात्रा की अनुसूची और संविदा करार, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहां उन्हें सौंपा जाएगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता होती है।

a) "नियोक्ता"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक होगा और इसमें इसके समनुदेशिनी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
b) कंपनियों के मामले में	"ठेकेदार का मतलब होगा _____ 19 के अंतर्गत निगमित कंपनी _____ और इसका पंजीकृत कार्यालय _____ होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे।
c) "कार्यस्थल"	इसका अर्थ होगा संविदा कार्यों का स्थल, जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है।
d) "यह संविदा"	इसका अर्थ होगा यहाँ संलग्न और विधिवत हस्ताक्षरित करार का विलेख, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची।
e) "लिखित रूप में सूचना"	का अर्थ होगा लिखित, टाइप किया गया या मुद्रित रूप में दी गई सूचना, जो रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जाए (व्यक्तिगत रूप से सौंप दी गई हो या अन्यथा प्राप्त होने का प्रमाण दिया गया हो तो छोड़कर) और जिसे सामान्य डाक प्रक्रिया के अनुसार डिलीवर होने पर प्राप्त हुआ माना जाएगा।

<p>f) "निवल कीमतें"</p>	<p>यदि संविदा राशि पर पहुंचने में ठेकेदार ने निविदा में कुल मदों में से किसी भी राशि को प्रतिशत के रूप में या अन्यथा जोड़ा या घटाया होगा, तो उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का निवल कीमत निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़ों में से जोड़ने या घटाने से प्राप्त राशि होगी, उस वस्तु की कीमत के रूप में एक समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि हमेशा प्रदान की जाएगी ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी गई या काटी गई राशि के प्रतिशत या अनुपात का निर्धारण करने में, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल राशि और अनंतिम रकम निविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। अभिव्यक्ति "निवल दरें" या "निवल कीमतें" जब संविदा या खाते के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, तो दरों का मतलब माना जाएगा या कीमतें इतनी आ गईं।</p>
-------------------------	--

g) "कार्य" का अर्थ होगा भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में फ्लैट को वीओएफ में बदलना

2. **संविदा का दायरा:** ठेकेदार इस संविदा के अनुसार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अभियंता के निर्देशों के अनुसार एवं उनकी संतुष्टि के अनुसार, हर पहलू में उक्त कार्य का कार्यान्वयन एवं समाप्ति करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के अभियंता अपनी पूर्ण विवेकशक्ति से एवं समय-समय पर आगे के आरेख तथा/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देशन एवं व्याख्याएँ जारी कर सकते हैं, जिन्हें आगे "भारतीय रिज़र्व बैंक के अभियंता के निर्देश" के रूप में सम्मिलित रूप से संदर्भित किया जाएगा:

- a) डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की विविधताएं या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।
- b) ड्राइंग में या मात्रा और/या ड्राइंग और/या विनिर्देशों की अनुसूची के बीच कोई विसंगति।

- c) ठेकेदार द्वारा उस पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और उसके लिए किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
- d) ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादन।
- e) उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यों से बर्खास्तगी।
- f) किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए कवर को खोलना।
- g) इसके खंड 19 के तहत किसी भी दोष का संशोधन और सुधार करना।

ठेकेदार ऐसे बैंक के इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक के इंजीनियर द्वारा कार्यों पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि कोई भिन्नता शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, ऐसे संविदा के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माने जाएंगे।

ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों को दर्शाते हुए भिन्नताओं का विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति की दरें एक पूरक निविदा बनाएंगी। नियोक्ता इस तरह के संस्करणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन बयानों को उसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

3. संविदा को तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक-एक निष्पादित प्रति के हकदार होंगे। इसके हस्ताक्षर पर ठेकेदार को उक्त आरेखों और विनिर्देशों में से प्रत्येक की एक प्रति और कार्यों की प्रगति के दौरान जारी किए गए सभी आगे के चित्रों की एक प्रति निः शुल्क प्रस्तुत की जाएगी। ठेकेदार द्वारा आवश्यक इस तरह के आहरणों की किसी भी और प्रतियों का भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार कार्यों पर सभी आहरणों की एक प्रति रखेगा और बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के पास हर उचित समय पर उस तक पहुंच होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वह तुरंत बैंक के इंजीनियर को सभी चित्र और विनिर्देश वापस कर देगा।

4. ठेकेदार अपनी लागत पर चित्रों के इरादे और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा, मात्रा की अनुसूची और विनिर्देशों को एक साथ लिया गया है, चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया जा सकता है या नहीं हो सकता है, बशर्ते कि इससे यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि ठेकेदार को चित्र में या चित्र के बीच कोई विसंगति मिलती है, अनुसूची

मात्रा और विनिर्देशों के अनुसार, वह तुरंत और लिखित रूप में इसे बैंक के इंजीनियर को भेजेगा, जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है।

5. **प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट**: अधिकार, सूचनाएँ और पेटेंट: ठेकेदार कार्य से संबंधित विधायी के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, किसी भी अधिकारी के विनियमों एवं उप-नियमों, तथा किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य कंपनियों और/या अधिकारियों के विनियमों और उप-नियमों का पालन करेगा, जिनकी प्रणाली से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, तथा इस पालन के कारण आवश्यक होने वाली आरेख या विनिर्देशों से किसी भी भिन्नता को लागू करने से पूर्व, अभियंता को लिखित सूचना देगा, जिसमें प्रस्तावित भिन्नता तथा इसे करने का कारण निर्दिष्ट किया जाएगा, तथा इस पर निर्देशों के लिए आवेदन करेगा। यदि ठेकेदार दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं करता है, तो वह संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उप-नियमों का पालन करते हुए कार्य को आगे बढ़ाएगा, तथा इस प्रकार आवश्यक की गई कोई भी भिन्नता इस संविदा के धारा 13 के अनुसार संभाली जाएगी।

ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा आवश्यक सभी सूचनाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाएगा, जो किसी भी अधिकारी को दी जानी हैं, तथा कार्य से संबंधित उचित रूप से वसूल किए जाने योग्य सभी शुल्कों का भुगतान उस अधिकारी या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को करेगा और रसीदें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा करेगा।

ठेकेदार पेटेंट अधिकारों के संबंध में उठने वाली सभी दावों के विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न सभी कार्यवाहियों का बचाव करेगा और स्वयं ऐसे संबंध में कानूनी रूप से होने वाले सभी प्रकार के रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति, लागत एवं शुल्कों का भुगतान करेगा।

6. **कार्य को सेट आउट करना**: ठेकेदार कार्यों को निर्धारित करेगा और उसी से सही और सही सेटिंग के लिए और उसके सभी हिस्सों के पदों के स्तर, आयामों और संरेखण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि कार्यों की प्रगति के दौरान या कार्यों के पूरा होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिखाई देगी, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो अपने खर्च पर बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को सुधारेगा।

7. **विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी**: सभी सामग्री और कारीगरी जहां तक खरीद योग्य होगी, अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की होगी। मात्रा और/या विनिर्देशों की संख्या और संविदा के अनुसार और ठेकेदार नियोक्ता को सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित किया जा

सके कि सामग्री इसका अनुपालन करती है। **ठेकेदार अपने खर्च पर किसी भी सामग्री के किसी भी परीक्षण की व्यवस्था करेगा और/या करेगा।**

8. **ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि:** ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद तक सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण देगा जब तक कि नियोक्ता परिशिष्ट में बताए गए "दोष देयता अवधि" की समाप्ति तक आवश्यक विचार कर सकता है। ठेकेदार, पूरे समय के दौरान कार्य प्रगति पर है, एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो पुरुषों के काम के दौरान कार्यों पर लगातार उपस्थिति में रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस को ठेकेदार को दिया जाना माना जाएगा।

9. **कामगारों की बर्खास्तगी:** ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्यों से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अक्षम हो सकता है या स्वयं कदाचार कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

10. **कार्यों तक पहुंच:** नियोक्ता, सभी उचित समय पर, कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुंच होगी जहां सामग्री पड़ी हुई है या जहां से वे प्राप्त किए जा रहे हैं और ठेकेदार नियोक्ता को निरीक्षण और जांच और सामग्री और कारीगरी के परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा देगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर नियोक्ता द्वारा अधिकृत नहीं किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. **सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी):** "सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) शब्द का अर्थ होगा वह व्यक्ति जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया है। ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्री की जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / **सहायक** महाप्रबंधक (तकनीकी), या नियोक्ता के पास ठेकेदार या गैर-अनुमोदन या किसी भी काम या सामग्री के अपने प्रतिनिधि को नोटिस देने की शक्ति होगी और इस तरह के काम को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। काम की जांच समय-समय पर सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / **सहायक** महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा की जाएगी, लेकिन इस तरह की परीक्षा किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी, जो कार्यों के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद पाया जा सकता है। इस खंड की सीमाओं के अधीन रहते हुए, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से निर्देश प्राप्त करेगा।

12. कोई परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस संविदा को दूषित नहीं करेगी, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय उचित समझता है, तो कार्यों में कोई परिवर्तन, या इसके अलावा, या कार्यों से कोई चूक या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना और ठेकेदार को अपने हाथ के तहत लिखित रूप में इसकी सूचना देगा, ठेकेदार इस तरह के नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलेगा, जोड़ेगा या छोड़ देगा, लेकिन ठेकेदार संविदा के किसी भी प्रावधान से कार्यों में कोई बदलाव या परिवर्धन या चूक करने के लिए अतिरिक्त काम नहीं करेगा। नियोक्ता की लिखित में पिछली सहमति के बिना शर्तें, विनिर्देश या संविदा चित्र और इस तरह के अतिरिक्त परिवर्तन, परिवर्धन या चूक का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा इसके खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा कि मामला तदनुसार हो सकता है।

13. **मात्राओं की अनुसूची**: मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

मात्रा की अनुसूची से वस्तुओं के विवरण या मात्रा में या चूक में कोई भी त्रुटि इस संविदा को खराब नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और इसके मूल्य, जैसा कि खंड 16 के तहत पता लगाया गया है, संविदा राशि (जैसा भी मामला हो) में जोड़ा या घटाया जाएगा, बशर्ते कि त्रुटियों का कोई सुधार न हो, यदि कोई हो, तो ठेकेदार की दरों की अनुसूची में अनुमति दी जाएगी।

14. **मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता:** ठेकेदार को निविदा दाखिल करने से पूर्व यह माना जाएगा कि उसने कार्यों के लिए अपनी निविदा की सही एवं पर्याप्तता तथा मात्राओं की अनुसूची और/या दरों एवं कीमतों की अनुसूची में वर्णित कीमतों के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली है, जो दरें एवं कीमतें निविदा के अंतर्गत उसके सभी दायित्वों तथा कार्यों की उचित समाप्ति के लिए आवश्यक सभी मामलों एवं वस्तुओं को शामिल करेंगी।

15. **कार्यों का मापन:** बैंक का इंजीनियर, समय-समय पर, ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है, और ठेकेदार इस तरह के माप और गणना करने में सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) की सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट को तुरंत उपस्थित करेगा या भेजेगा और सभी विवरण प्रस्तुत करेगा या उनमें से किसी के लिए आवश्यक सभी सहायता देगा।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने के लिए उपेक्षा करता है या छोड़ देता है तो बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा किए गए माप को कार्यों का सही माप माना जाएगा। इस तरह के माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है।

नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्यों, चूक और सभी विविधताओं को ऐसे मापों में शामिल किया जाएगा।

16 **अनिश्चित सामग्री जब नियोक्ता की संपत्ति के रूप में ध्यान में रखी जाती है** जहां किसी भी प्रमाण पत्र में (जिसमें से ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) बैंक के इंजीनियर ने किसी भी अनिश्चित सामग्री के मूल्य को शामिल किया है और/या कार्यों के लिए या उससे सटे हुए कार्यों के लिए ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और उन्हें कार्यों पर उपयोग के अलावा हटाया नहीं जाएगा, नियोक्ता के लिखित अधिकार के बिना। ठेकेदार ऐसी सामग्रियों के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

17 **अनुचित कार्य को हटाना :** नियोक्ता, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का लिखित आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि किसी भी सामग्री के क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन, और किसी भी कार्य को हटाना और उचित पुनः निष्पादन सामग्री या कारीगरी के साथ

निष्पादित किया गया है जो चित्र और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है और ठेकेदार तुरंत अपनी लागत पर इस तरह के आदेश को पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, नियोक्ता के पास किसी भी भुगतान अन्य व्यक्तियों को इसे पूरा करने के लिए नियोजित करने की शक्ति होगी; और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च, या उसके आकस्मिक, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है, या जो ठेकेदार के देय हो सकते हैं।

18 वास्तविक पूर्णता के बाद दोष:

कोई दोष, सिकुड़न, बसाव या अन्य त्रुटि जो इस संविदा के परिशिष्ट में वर्णित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर प्रकट हो, या यदि ऐसी अवधि वर्णित नहीं की गई है तो कार्यों की वास्तविक पूर्णता के बाद बारह माह के भीतर, नियोक्ता की राय में संविदा के अनुसार न होने वाली सामग्री या शिल्पकारी के कारण उत्पन्न होने वाली, नियोक्ता के लिखित निर्देश पर तथा उस समय के भीतर जो उसमें निर्दिष्ट किया जाए, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर सुधारित और ठीक की जाएगी। डिफ़ॉल्ट की स्थिति में नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है ताकि वे ऐसे दोषों, सिकुड़न, बसाव या अन्य त्रुटियों को सुधारें और ठीक करें, और इसके परिणामस्वरूप होने वाली सभी क्षतिपूर्ति, हानि और व्यय, जो इससे संबंधित हों, नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाएंगे या नियोक्ता द्वारा लिखित रिज़र्व बैंक के अभियंता के प्रमाणपत्र के आधार पर, ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसा सुधार और ठीक करने के स्थान पर ठेकेदार को देय किसी भी राशि से एक राशि काट सकता है, जो नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी और ऐसे कार्य को सुधारने की लागत के बराबर होगी। यदि इस संविदा के धारा 30 के तहत रोकी गई राशि पर्याप्त नहीं है, तो शेष राशि को ठेकेदार से वसूल किया जाएगा, साथ ही नियोक्ता द्वारा इससे संबंधित किए गए किसी भी व्यय की भी वसूली की जाएगी। यदि कार्यों में नियुक्त किसी उप ठेकेदार द्वारा, जिसे इस संविदा के धारा 21 के अनुसार नामित किया गया है, कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या सामग्री आपूर्ति की गई है, तो ठेकेदार इसी तरह से उत्तरदायी होगा, मानों ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा किया या आपूर्ति किया गया हो, और यह धारा तथा इस संविदा की धारा 7 के प्रावधानों के अधीन हो। ठेकेदार इस धारा के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी बना रहेगा, भले ही नियोक्ता द्वारा किसी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया गया हो या किसी लेखा को पारित किया गया हो।

19 पूर्णता प्रमाण पत्र: कार्यों को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि बैंक के इंजीनियर ने लिखित रूप में प्रमाणित नहीं किया है कि वे लगभग पूरे हो गए हैं। दोष देयता अवधि ऐसे प्रमाणपत्रों की तारीख से शुरू होगी।

20. कार्य पूरा होने के 10 दिनों के भीतर, ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को इस तरह के पूरा होने की सूचना देगा और इस तरह की सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर, बैंक का इंजीनियर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई दोष नहीं है, तो ठेकेदार को पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, अन्यथा दोषों को इंगित करने वाला एक अनंतिम प्रमाण पत्र (a) ठेकेदार द्वारा सुधारा जाना है और/या (b) जिसके लिए कम दरों पर भुगतान किया जाना है, जारी किया जाएगा। लेकिन पूरा होने का कोई प्रमाण पत्र, अनंतिम या अन्यथा जारी नहीं किया जाएगा, और न ही काम को तब तक पूरा माना जाएगा जब तक कि ठेकेदार उस परिसर से हटा नहीं देगा, जिस पर काम निष्पादित किया गया था, ठेकेदार (ओं) द्वारा सभी मचान, अधिशेष सामग्री, कचरा, अस्थायी शेड का निर्माण या निर्माण किया गया था और सभी कार्यों से गंदगी को साफ कर दिया गया था, दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, फर्श या किसी भी इमारत के अन्य हिस्सों, जिस पर या जिसके बारे में काम निष्पादित किया गया था, या जिसके निष्पादन के उद्देश्य से उसके पास कब्जा हो सकता है, और तब तक नहीं जब तक कि काम को बैंक के इंजीनियर द्वारा मापा नहीं जाएगा।

21 नामित उप-ठेकेदार: सभी विशेषज्ञ, व्यवसायी, व्यापारी और अन्य किसी भी सामान की आपूर्ति और फिक्सिंग के किसी भी काम को निष्पादित करते हैं, जिसके लिए प्रमुख लागत मूल्य या अनंतिम रकम मात्रा और / या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल हैं, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और यहां नामित उप-ठेकेदारों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

ठेकेदार के विरुद्ध कार्यों पर या उसके संबंध में किसी भी नामित उप-ठेकेदार को नियोजित नहीं किया जाएगा, उचित आपत्ति होगी (सिवाय जहां वास्तुकार और ठेकेदार अन्यथा सहमत होंगे) जो संविदा प्रदान करने में प्रवेश नहीं करेंगे।

a) कि नामित उप-ठेकेदार उप-संविदा के संबंध में उसी दायित्व के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा जैसा कि ठेकेदार इस संविदा के संबंध में है।

b) कि नामित उप ठेकेदार, उप ठेकेदारों, उनके सेवकों या अधिकारियों द्वारा की गई किसी लापरवाही, या

उनके द्वारा स्कैफ़ल्ड या ठेकेदार की संपत्ति होने वाले अन्य संयंत्र के किसी दुरुपयोग, या लागू श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत उठने वाले दावों के संबंध में ठेकेदार को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व रखेगा।

c) भुगतान, नामित उप ठेकेदार को नियोक्ता के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा, बशर्ते कि किसी प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व ठेकेदार, अनुरोध पर, रिज़र्व बैंक को यह प्रमाणित करे कि पूर्ववर्ती प्रमाणपत्रों में शामिल सभी नामित उप ठेकेदारों के खातों का उचित रूप से निपटान किया गया है। इसकी अनुपस्थिति में नियोक्ता रिज़र्व बैंक के प्रमाणपत्र पर भुगतान कर सकता है तथा उस राशि को ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काट सकता है। इस शक्ति का प्रयोग नियोक्ता और उप ठेकेदार के बीच संविदा की पक्षिता उत्पन्न नहीं करेगा।

22 नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति:

नियोक्ता इस संविदा में शामिल नहीं ऐसे कार्यों को संपादित करने हेतु, जिन्हें वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करवाना चाहता है, परिसर तथा कार्य स्थल के किसी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठेकेदार ऐसे कार्य के सम्पादन हेतु सभी युक्तिसंगत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, किन्तु नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के लिए कोई संयंत्र या सामग्री प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसा कार्य इस प्रकार से किया जाएगा कि इस संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न पड़े, तथा ठेकेदार ऐसे कार्य से होने वाले किसी भी क्षति या विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

23 बीमा: ठेकेदार, अपने स्वयं के या किसी नामित उप ठेकेदार के कर्मचारियों के कार्य या लापरवाही से होने वाली किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु को हुए आहति तथा संपत्ति को हुए संरचनात्मक या सजावटी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह लापरवाही, दुर्घटना या अन्य किसी कारण से इस संविदा के कार्यान्वयन से संबंधित हो। इस खंड में, विशेष रूप से, निकटवर्ती या अन्य किसी भी इमारत, सड़क, गली, फुटपाथ, पुल आदि को हुई क्षति तथा इस संविदा के विषय की इमारतों व कार्यों को ठंड या अन्य मौसमी कठोरता से हुई सभी क्षतियाँ शामिल होंगी। ठेकेदार, भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसी आहति या क्षति से उत्पन्न सभी व्ययों, सरकारी अधिनियमों के तहत दावों तथा क्षतिपूर्ति के आदेशों से संबंधित क्षतिपूर्ति करेगा एवं तृतीय पक्षों की संपत्ति की क्षति की भरपाई करेगा। ठेकेदार, इस संविदा के कार्यों को पूर्ण व अखंड अवस्था में सौंपने हेतु सभी क्षतियों का पुनर्निर्माण करेगा। ठेकेदार, भारतीय रिज़र्व बैंक को जनता या तृतीय पक्षों द्वारा किए गए दावों से संबंधित क्षतिपूर्ति करेगा तथा अपने व्यय पर, संविदा की वास्तविक समाप्ति तक, अनुमोदित बीमा कंपनी से भारतीय रिज़र्व बैंक (प्रथम नाम) एवं ठेकेदार के संयुक्त नामों पर बीमा नीति लेकर उसे संविदा की अवधि में नियमित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपेगा। बीमा नीति की न्यूनतम सीमा प्रति दुर्घटना/घटना प्रति व्यक्ति 2 लाख

रुपये तथा संपत्ति क्षति हेतु 5 लाख रुपये होगी।

ठेकेदार, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम या अन्य लागू अधिनियमों के तहत अपने कर्मचारियों/उप ठेकेदारों से संबंधित दावों के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। ठेकेदार, बीमा नीतियों में निर्दिष्ट जोखिमों से अनावरणित दायित्वों तथा लापरवाही से हुई क्षतियों के लिए भी उत्तरदायी रहेगा। ठेकेदार, दावों से उत्पन्न किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी दावे से संबंधित राशि को ठेकेदार को देय राशि से काटने का अधिकार रखेगा।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार, कार (करारदाता सर्व जोखिम) बीमा नीति लेकर कार्य संपूर्ण राशि हेतु अग्निकांड, चोरी, भूकंप आदि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगा। यदि ठेकेदार बीमा नहीं लेता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसा कर सकता है तथा उसकी प्रीमियम राशि को ठेकेदार की देय राशि से काट सकता है। बीमा लेने में लापरवाही होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आंकलित प्रीमियम राशि को ठेकेदार बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करेगा। ठेकेदार, बीमा नीतियों द्वारा न कवर किए गए दायित्वों तथा किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु को हुई क्षति के लिए उत्तरदायी रहेगा, चाहे क्षति का कारण कुछ भी हो।

बीमा नीति के तहत दावा निपटान के पश्चात, ठेकेदार, क्षतिग्रस्त कार्य का पुनर्निर्माण सावधानीपूर्वक करेगा। इस घटना में, बीमाकर्ता से प्राप्त समस्त राशि ठेकेदार को दी जाएगी और ठेकेदार को पुनर्निर्माण या मरम्मत हेतु किए गए व्यय के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा। आग आदि के कारण पुनर्निर्माण हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर द्वारा उपयुक्त समझी गई समयावधि का विस्तार दिया जाएगा, किंतु बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि में कमी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बिना इस खंड के अधीन अपनी उत्तरदायित्व से प्रभावित किए बिना, ठेकेदार, सभी नामित उप ठेकेदारों को अपने कार्यान्वयन के भाग हेतु इसी खंड के अनुसार समान बीमा नीतियाँ लेने का निर्देश देगा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को उन नीतियों को सौंपेगा। ठेकेदार, नामित उप ठेकेदार को बीमा नीतियाँ संतुष्टि प्राप्त होने तक कार्यालय में कार्य आरंभ नहीं करने देगा। उप ठेकेदार द्वारा बीमा नीति न लेने की स्थिति में, ठेकेदार, उस उप ठेकेदार से संबंधित किसी भी दावे या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

24 प्रारंभ और पूरा होने की तिथि: ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ की तिथि" पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, या प्रत्येक बाद की तारीख के रूप में नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसके बाद और तुरंत काम शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा (इस तरह की पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर जैसा कि बैंक देरी करना चाहता है) या "पूरा होने की तारीख" में बताए गए इसके बाद समय बढ़ाने के उपबंधों के अधीन परिशिष्ट में शामिल है।

25 पूरा न होने पर नुकसान: यदि ठेकेदार परिशिष्ट में बताई गई तारीख तक या समय विस्तार के तहत किसी अनुमोदित विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है। खंड, संविदाकार नियोक्ता को परिशिष्ट में नामित राशि का भुगतान उस अवधि के लिए परिसमापन हर्जाना के रूप में करेगा जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और नियोक्ता ठेकेदार के कारण किसी भी धन से ऐसे नुकसान की कटौती कर सकता है।

26 देरी और समय का विस्तार: यदि नियोक्ता की राय में कार्यों में देरी हो रही है (a) अप्रत्याशित घटनाओं या (b) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (c) ठेकेदार के स्वयं के डिफॉल्ट के अलावा अन्यथा उत्पन्न होने वाले आसन्न या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ की गई कार्यवाही या विवाद के कारण या (d) नियोक्ता द्वारा लगे या नामांकित अन्य ठेकेदार या ट्रेड्समैन के कार्यों या देरी से और मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं किया गया है या (e) इसके खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारणों से, (f) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करने या (g) ठेकेदार को नियत समय में आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (h) अन्य से ऐसे कारण जिन्हें बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से परे प्रमाणित कर सकता है या (i) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक पूरा होने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है, जैसे ही बैंक को लिखित सूचना दी जा सकती है, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार अपने प्रयासों का उपयोग करेगा और करेगा वह सब जो काम के साथ आगे बढ़ने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है।

27 नियोक्ता के निर्देश का पालन करने में ठेकेदार की विफलता: यदि 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद ठेकेदार इस तरह के आगे के आरेखों और/या

बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित और भुगतान कर सकता है, जो कि उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में लगी सभी लागतें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जाएंगी या ठेकेदार के कारण किसी भी धन से उसके द्वारा काटी जा सकती हैं।

28 नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति: यदि ठेकेदार, जो कि एक व्यक्ति या फर्म है, कोई "दिवालियापन का कृत्य" करता है या दिवालिया घोषित किया जाता है, या यदि संघटित कंपनी है तो उसके विरुद्ध अनिवार्य विघटन का आदेश पारित किया जाता है या स्वेच्छा से विघटन हेतु प्रभावी प्रस्ताव पारित करता है, या ऐसे दिवालियापन या विघटन की स्थिति में न्यायालय तथा आधिकारिक नियुक्तकर्ता या विघटन अधिकारी के पर्यवेक्षण में होता है, तो उसे सूचना दिए जाने के सात दिनों के भीतर यह संतोषजनक रूप से सिद्ध करने में असमर्थ रहता है कि वह संविदा का कार्यान्वयन एवं पूर्ति करने में सक्षम है तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा राशि प्रदान कर सकता है, जैसा कि वास्तुकार द्वारा अपेक्षित हो।

या यदि ठेकेदार (चाहे वह एक व्यक्ति, फर्म या संघटित कंपनी हो) के विरुद्ध न्यायालय द्वारा संपत्ति को जब्त करने हेतु निष्पादन या अन्य कार्यवाही जारी की जाती है,

या यदि इस संविदा के तहत किसी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से जब्त कर लिया जाता है,

या यदि ठेकेदार, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त किए बिना, इस संविदा को असाइन या उप-पट्टे पर देता है,

या यदि ठेकेदार, इस संविदा या यहाँ उल्लिखित किसी भी देय या भविष्य में देय राशि को गिरवी या बोझ लगाता है,

या यदि—

(i) ठेकेदार ने संविदा को त्याग दिया है, या

(ii) ठेकेदार ने कार्य आरंभ नहीं किया है, या बिना किसी वैध कारण के भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्य जारी रखने की लिखित सूचना प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या

(iii) ठेकेदार ने उचित सावधानी और गति से कार्य नहीं किया है जिससे समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण हो सके, या

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट सामग्री या कार्य को अस्वीकृत घोषित करने की लिखित सूचना प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर सामग्री को स्थल से हटाने या कार्य को तोड़-फोड़कर पुनर्स्थापित

करने में विफल रहा है, या

(v) ठेकेदार ने संविदा द्वारा निर्धारित कार्यों का निरंतर पालन नहीं किया है और लिखित सूचना प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर भी उन्हें पूरा नहीं किया है,

तब उपरोक्त किसी भी स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक, पूर्व किसी भी छूट के बावजूद, ठेकेदार को 7 दिनों की लिखित सूचना देने के बाद संविदा को समाप्त कर सकता है। इस समाप्ति के बाद भी संविदा के सभी उपबंध लागू रहेंगे, मानों संविदा समाप्त न हुई हो। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने एजेंटों या कर्मचारियों द्वारा कार्य स्थल पर प्रवेश कर सकता है, सभी संयंत्र, औजार, स्कैफलिंग, छत्तियाँ, मशीनरी, भाप एवं अन्य शक्ति उपकरणों तथा सामग्री का अधिग्रहण कर सकता है, और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य पूर्ण करवा सकता है, या किसी अन्य ठेकेदार को नियुक्त कर सकता है। ठेकेदार किसी भी प्रकार से इस प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा। कार्य पूर्ण होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ठेकेदार को अतिरिक्त सामग्री एवं संयंत्र हटाने हेतु लिखित सूचना देगा। यदि ठेकेदार 14 दिनों के भीतर ऐसा नहीं करता, तो भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसे बेच सकता है और शुद्ध प्राप्त राशि ठेकेदार को जमा करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिगृहीत संयंत्र/सामग्री तथा कार्य पूर्ण कराने में हुए व्यय/हानि का लेखाजोखा तैयार करके लिखित रूप में प्रमाणित करेगा। यदि ठेकेदार को कुछ राशि देय है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक उसे भुगतान करेगा, अन्यथा ठेकेदार को भुगतान करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रमाणपत्र पक्षों के मध्य अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

29 ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति:

यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के तहत देय राशि का भुगतान, ठेकेदार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त राशि के भुगतान हेतु लिखित सूचना देने के 30 दिनों तक बकाया रहता है, या यदि भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे किसी प्रमाणपत्र के जारी होने में हस्तक्षेप या बाधा डालता है, या यदि भारतीय रिज़र्व बैंक संविदा को अस्वीकार करता है, या यदि वास्तुकार या भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेश या किसी न्यायालय के किसी अधिनियम या अन्य आदेश द्वारा कार्य तीन महीनों के लिए रोक दिया जाता है, तब उपरोक्त किसी भी स्थिति में ठेकेदार, भारतीय रिज़र्व बैंक को लिखित सूचना देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार रखेगा। ठेकेदार, भारतीय रिज़र्व बैंक से सभी पूर्ण कार्यों के लिए भुगतान तथा किसी संयंत्र या सामग्री पर होने वाली हानि के लिए भुगतान वसूल करने का अधिकारी होगा, जो संविदा के उद्देश्य हेतु आपूर्ति, खरीद या तैयार की गई हो।

इस प्रकार के भुगतान की राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार की मूल निविदा में निर्दिष्ट शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, अथवा जहाँ यह लागू न हो, तो मूल्यांकन इस संविदा के खंड 19 (सामान्य शर्तें) के अनुसार किया

जाएगा।

30 प्रमाण पत्र और भुगतान:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेकेदार को समय-समय पर किश्तों में कार्य के लेखे भुगतान किया जाएगा, जब भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में परिशिष्ट में "अंतरिम भुगतान हेतु कार्य का मूल्य" के रूप में नामित लगभग समतुल्य मूल्य का कार्य इस संविदा के अनुसार पूर्ण कर लिया जाता है (या भारतीय रिज़र्व बैंक के उचित विवेकानुसार कम), तथापि, परिशिष्ट में "अंतरिम भुगतान हेतु रोक राशि प्रतिशत" के रूप में नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत को रोका जाएगा, जब तक कुल रोकी गई राशि परिशिष्ट में "कुल सुरक्षा जमा राशि" के रूप में नामित राशि तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद की किश्तों का भुगतान उसके बाद पूर्ण किए गए कार्य के पूर्ण मूल्य तक किया जाएगा और भवन में निश्चित किया जाएगा।

ठेकेदार, भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जो परिशिष्ट में "दोष दायित्व अवधि" के रूप में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर आभासी समाप्ति की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद जारी किया जाएगा, जब कार्य अंततः पूर्ण हो जाते हैं और सभी दोषों को इसके वास्तविक अभिप्राय के अनुसार ठीक कर दिया जाता है, जो भी बाद में हो। यह शर्त रहेगी कि इनकी पूर्णता ठेकेदार को खंड 2 और 18 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और न ही कार्य या सामग्री से संबंधित धोखाधड़ी, ईमानदारी से भिन्न व्यवहार या धोखाधड़ीपूर्ण छिपाने के मामलों में ठेकेदार के दायित्व से मुक्त करेगी, या ऐसे सभी दोषों और अपर्याप्तताओं में जिनका एक उचित जांच से पता नहीं चल सकता।

भारतीय रिज़र्व बैंक को यह अधिकार है कि यदि कार्य या उसके किसी भाग को उसकी संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो किसी भी प्रमाणपत्र को रोक सके।

कार्य के लिए केवल निम्नलिखित भुगतान शर्तें लागू होंगी:

लेखा बिलों को भुगतान के लिए विस्तृत आइटम-वार मापन करने और वास्तविक कार्य के अनुपात में भाग दरों को ध्यान में रखने के बाद विचार किया जाएगा। सभी भुगतानों से 5% की राशि रोक राशि के रूप में वसूली की जाएगी, जो बयाना राशि के साथ मिलकर सुरक्षा जमा राशि का गठन करेगी। आयकर, कार्य अनुबंध कर, सेवा कर, वैट आदि जैसी अन्य वसूलियाँ वर्तमान नियमों/कानूनों के अनुसार की जाएंगी।

- 31 विलंबित भुगतान: यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि परिशिष्ट में नामित 'प्रमाणपत्रों के भुगतान की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस राशि पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान की जानी चाहिए थी उस तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान तक, परिशिष्ट में 'विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर' के रूप में नामित दर से साधारण ब्याज लगेगा।
- 32 इस संविदा के खंड 2(क), 2(ख), 4, 7, 17, 26(क, ख, ग, घ, च) के तहत उल्लिखित सभी या किसी भी मामले (जिन्हें यहाँ ' मामलों' के रूप में संदर्भित किया गया है) से संबंधित निर्णय, अभिप्राय, निर्देश तथा प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक होंगे तथा इस संविदा के पक्षों पर बाध्यकारी होंगे और अपील रहित होंगे। अन्य किसी भी निर्णय, अभिप्राय या निर्देश को इस संविदा के खंड 33 के तहत न्यायाधिकरण और समीक्षा के अधिकार के अधीन माना जाएगा, जो सभी संबंधों में (संदर्भ आरंभ करने से संबंधित प्रावधानों सहित) समान रूप से लागू होगा।

33 विवादों का न्यायाधिकरण द्वारा निपटारा: संविदा से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद एवं मतभेद (चाहे कार्य की प्रगति के दौरान, उसकी पूर्णता के पश्चात, या संविदा की समाप्ति, त्याग या उल्लंघन से पूर्व या पश्चात हों) भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाएंगे और उसके द्वारा निपटाए जाएंगे, जो अपना निर्णय लिखित रूप में व्यक्त करेगा। यह निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्य रूप में हो सकता है। उपरिवर्णित मामलों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय खंड 32 में उल्लिखित अनुसार अंतिम एवं अपील रहित होगा। तथापि, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक या ठेकेदार उपरिवर्णित मामलों को छोड़कर किसी भी अन्य विवादित मामले से असंतुष्ट हो, तो कोई भी पक्ष (भारतीय रिज़र्व बैंक या ठेकेदार) ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देकर विवादित मामलों को न्यायाधिकरण हेतु भेजने का अनुरोध कर सकता है। ऐसी लिखित सूचना में विवादित मामलों का विवरण दिया जाएगा। कोई भी आदेश न्यायाधिकरण के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों पक्षों द्वारा सहमति से नियुक्त एक न्यायाधिकर्ता द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि एकल न्यायाधिकर्ता की नियुक्ति पर मतभेद हो, तो प्रत्येक पक्ष द्वारा एक-एक न्यायाधिकर्ता नियुक्त किया जाएगा, जो संदर्भ ग्रहण करने से पूर्व एक निर्णायक नियुक्त करेंगे। न्यायाधिकर्ता या न्यायाधिकर्ताओं (जैसा भी मामला हो) को उपरिवर्णित खंड में उल्लिखित उपरिवर्णित मामलों को छोड़कर किसी भी प्रमाणपत्र, अभिप्राय, निर्णय, अनुरोध या सूचना को खोलने, समीक्षा करने एवं संशोधित

करने का अधिकार होगा, तथा न्यायाधिकरण के लिए सौंपे गए सभी विवादित मामलों का निर्णय लेना होगा जिनके संबंध में उपरोक्तानुसार सूचना दी गई हो।

न्यायाधिकर्ता या न्यायाधिकर्ताओं (जैसा भी मामला हो) को संदर्भ ग्रहण की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षों की सहमति से निर्धारित किसी अतिरिक्त अवधि में) अपना निर्णय देना होगा। यदि न्यायाधिकरण की प्रक्रिया के दौरान पक्ष पारस्परिक सहमति से विवाद को समाप्त करते हैं, तो न्यायाधिकरण के लिए संदर्भ तथा न्यायाधिकर्ता की नियुक्ति रद्द मानी जाएगी और न्यायाधिकरण प्रक्रिया उस तारीख से समाप्त हो जाएगी जब पक्ष न्यायाधिकर्ता को समाधान संबंधी संयुक्त ज्ञापन दाखिल करेंगे।

प्रत्येक संदर्भ के संबंध में न्यायाधिकरण और निर्णय से संबंधित सभी लागतों का निर्धारण न्यायाधिकर्ता या न्यायाधिकर्ताओं (जैसा भी मामला हो) के विवेक पर छोड़ा जाएगा, जो राशि निर्धारित करेंगे या इसे वकील-ग्राहक या पक्ष-पक्ष के बीच की दर से लागत निर्धारित करने का आदेश देंगे, तथा यह निर्देश देंगे कि लागत किसके द्वारा वहन की जाएगी और किसे भुगतान किया जाएगा। यह समझौता भारतीय न्यायाधिकरण अधिनियम (नवीनतम संशोधन) या इसके किसी प्रावधानिक संशोधन के अर्थ में न्यायाधिकरण के लिए समर्पित माना जाएगा। न्यायाधिकर्ता या न्यायाधिकर्ताओं (जैसा भी मामला हो) का निर्णय पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। यह सहमति की गई है कि ठेकेदार न्यायाधिकरण हेतु किसी मामले के संदर्भित होने के कारण कार्य के निष्पादन में विलंब नहीं करेगा, बल्कि उचित सावधानी से कार्य जारी रखेगा और न्यायाधिकर्ता या न्यायाधिकर्ताओं (जैसा भी मामला हो) के निर्णय तक भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय का पालन करेगा। कोई भी न्यायाधिकर्ता का निर्णय ठेकेदार को कार्य के वास्तविक निष्पादन से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक और ठेकेदार इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत न्यायाधिकरण, संविदा के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए पूर्वपेक्षित शर्त होगा।

34 नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित कार्यों की तकनीकी जांच और ठेकेदार के अंतिम बिल की जांच करने का अधिकार होगा। यदि अन्यथा इस परीक्षा के परिणामस्वरूप किसी भी राशि को अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाया जाता है, तो नियोक्ता के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

35. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा श्रमिकों को दी गई क्षतिपूर्ति की वसूली का अधिकार

यदि किसी कारण से भारतीय रिज़र्व बैंक, श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी प्रावधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन के तहत, ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन के लिए नियुक्त श्रमिक को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी दी गई क्षतिपूर्ति की राशि को ठेकेदार से वसूल करने का अधिकारी होगा। यह अधिकार उक्त अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य अधिकारों को प्रभावित किए बिना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा राशि से या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देय किसी भी राशि से कटौती करके वसूल करने का अधिकार रखेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक, उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध दायर किए गए किसी भी दावे का विवाद करने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह केवल ठेकेदार द्वारा लिखित अनुरोध करने और भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के लिए ऐसे विवाद के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक पर पड़ने वाली सभी लागतों की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में ही लागू होगा।

36. कार्यों का परित्याग

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, नियोक्ता को किसी भी कारण से पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके पास मुआवजे के किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

37. ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में संविदा समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

38. ठेका श्रमिकों की नियुक्ति: ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या किसी अन्य कानून, जैसा भी लागू हो, के तहत एक लाइसेंस प्राप्त करेगा, जिसमें विफल रहने पर वह अकेले ही उसके बाद होने वाली कार्यवाहियों / कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को ठेकेदार के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से ठेकेदार द्वारा लगाए गए श्रमिकों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा। प्रधान नियोक्ता ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के संवितरण के स्थान और समय पर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का

संवितरण सुनिश्चित करना ठेकेदार का कर्तव्य होगा। मुख्य नियोक्ता का अधिकृत प्रतिनिधि अपने हस्ताक्षर के तहत मजदूरी रजिस्टर के अंत में (मजदूरी-सह-मस्टर रोल का रजिस्टर) के अंत में एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित रूप में:

"प्रमाणित किया जाता है कि कॉलम नंबर में दिखाई गई राशिमेरी उपस्थिति में संबंधित कामगार को भुगतान किया गया है।

विशेष शर्तें

1. संपूर्ण कार्य **100** दिनों की अवधि में पूरा करना आवश्यक है (यदि फ्लैट चरणबद्ध तरीके से सौंपे जाते हैं, तो प्रत्येक फ्लैट को सौंपने की तारीख से **30** दिन दिए जाएंगे)। ठेकेदार को इसलिए अपने बुनियादी ढांचे के साथ कार्य की उपयुक्त समय सारणी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यंत्रों, औजारों, उपकरणों, श्रमिक बल आदि का पर्याप्त समर्थन हो।
2. श्रमिकों को साइट पर रहने की अनुमति नहीं होगी।
3. ठेकेदार को कार्यस्थल पर सभी सामग्री, औजारों और यंत्रों आदि को ऊपर उठाने और उन्हें मलबे तथा बचाए गए सामग्री के साथ नीचे उतारने की अपनी व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल, रिसाव और सुरक्षा संबंधी खतरों का उत्पादन न हो। इस उद्देश्य के लिए, ठेकेदार को अपनी योजना को भारतीय रिज़र्व बैंक से अग्रिम अनुमोदन प्राप्त करना होगा और उसके द्वारा सुझाए गए किसी भी परिवर्तन को शामिल करना होगा। साइट पर एक ट्रक लोड से अधिक मलबा जमा नहीं होने दिया जाएगा।
4. ठेकेदार को अपनी लागत पर कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु आवश्यक समय तक उपयुक्त और पर्याप्त होर्डिंग स्क्रीन और बाड़ लगानी होगी तथा कार्य की अवधि में उसे अच्छी स्थिति में बनाए रखना होगा। आवश्यकता पड़ने पर, उसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रात में होर्डिंग या बाड़ को अच्छी तरह से प्रकाशित करना होगा। ठेकेदार को कार्य के दौरान हुए किसी भी क्षति को अतिरिक्त भुगतान के बिना ठीक करना होगा। निविदाकर्ताओं से अपने हित में कार्य की प्रकृति एवं मात्रा का आकलन करने हेतु साइट का निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाता है।
5. ठेकेदार को इमारत के अंदर किसी भी मलबे को संग्रहित करने की अनुमति नहीं होगी। सभी मलबे को भूमि तक पहुंचाने हेतु उपयुक्त चूट के माध्यम से ढोने और उसे गाड़ी से ले जाने से पूर्व निर्दिष्ट स्थानों पर स्टैक करने के लिए अधिकारी इंजीनियर की पूर्व स्वीकृति से अग्रिम व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. निर्मित कार्य प्लेटफॉर्म ऐसे होने चाहिए कि श्रमिकों और निरीक्षकों के सुरक्षित कार्य में सहायता मिले तथा कम

से कम तीन से चार स्तरों पर एक साथ व्यक्ति, सामग्री और मलबे का समर्थन हो सके।

7. ठेकेदार को कार्य आरंभ से पूर्व संरचना के विभिन्न भागों की मरम्मत हेतु अपनी समय सारणी प्रस्तुत करनी होगी।
8. ठेकेदार को इमारत के अंदर धूल और गंदगी की परेशानी को न्यूनतम रखने का प्रयास करना होगा। ठेकेदार को अपनी लागत पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में मजबूत पॉलीथीन शीट्स लगानी होंगी, जो पर्याप्त चौड़ाई की हों ताकि श्रमिक उनपर चल सकें/सामग्री ढो सकें, जो अधिकारी इंजीनियर की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप हों।
9. मरम्मत का कार्य चल रहे अधिवास के साथ किया जाना आवश्यक है। ठेकेदार को अधिवासी को न्यूनतम असुविधा देने के लिए अपनी अधिकतम संभव सहयोग देना होगा।
10. मरम्मत कार्य तथा प्लास्टर कार्य के लिए केवल मात्राओं की सारणी में विनिर्दिष्ट स्कैफलिंग का उपयोग अनुमत रहेगा।
11. किसी भी श्रमिक या ठेकेदार के कर्मचारियों को इमारत के परिसर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
12. कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार को सभी मलबे को साफ करना होगा और इस संबंध में संबंधित कॉलोनी के कार्यपालक द्वारा प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इस घोषणा के बिना कोई भी बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा।

माप सामग्री के विनिर्देश और माध्यम

1. गुणवत्ता

कार्यों में शामिल करने के लिए सभी सामग्री यहां निर्दिष्ट उनके संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम गुणवत्ता की होगी और नियोक्ता / इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्रोतों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त की जाएगी और इसके बाद निर्धारित परीक्षणों का सख्ती से पालन करेगी या, जहां परीक्षण सूची विनिर्देश में निर्धारित नहीं हैं, इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण की आवश्यकताओं के साथ।

2. निरीक्षण और परीक्षण

कार्यों में शामिल होने से पहले सभी सामग्रियों को निरीक्षण और परीक्षण के अधीन किया जाएगा जैसा कि संविदा की शर्तों में और विनिर्देशों में कहीं और प्रदान किया गया है। इस विनिर्देश या अनुमोदित मानकों द्वारा आवश्यक सभी परीक्षणों के लिए सभी नमूनों की लागत को संविदा दरों में शामिल माना जाएगा। कार्यों में किसी भी सामग्री का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें पहले इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।

3. नमूने

कार्यों में उपयोग या शामिल किए जाने वाले और ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सभी सामग्रियों के नमूने इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय बुलाए जा सकते हैं।

4. स्वतंत्र परीक्षण

आपूर्तिकर्ता के कार्य परीक्षण और विश्लेषण की जांच करने के लिए इंजीनियर / नियोक्ता द्वारा नियुक्त परीक्षण गृह या विश्लेषक द्वारा समय-समय पर किसी भी सामग्री का स्वतंत्र परीक्षण और विश्लेषण किया जा सकता है। आवृत्ति, परीक्षण और स्वीकृति मानदंड के लिए प्रक्रिया संबंधित आईएस कोड में बताई गई है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर एक परीक्षण गृह या विश्लेषक को ऐसी सामग्री की आपूर्ति और वितरण करेगा जो इंजीनियर द्वारा निर्देशित की जा सकती है। यदि किसी भी परीक्षण का परिणाम इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के लिए असंतोषजनक होना चाहिए, तो प्रतिनिधित्व की गई सामग्री को अस्वीकार कर दिया जाएगा। सभी परीक्षणों की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

5. मापन का तरीका

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट माप का तरीका आईएस: 1200 के नवीनतम संस्करण के अनुसार होगा

उद्देशिका

1. सभी वस्तुओं की दर भरी जानी चाहिए।
2. मात्रा संभावित हैं और भिन्न हो सकती हैं।
3. मलबे को हटाने के लिए तोड़ने/हटाने की दरों में शामिल होना चाहिए। मलबे को सीढ़ियों के माध्यम से जमीन पर लाया जाना चाहिए और समय-समय पर साइट से निपटाया जाना चाहिए।
4. भवन के जिस हिस्से को ढहाया जाता है, उसे धूल से बचने के लिए पूरी तरह से बोनी स्क्रीन से ढक दिया जाना चाहिए।
5. क) उद्धृत दरों में धूल के उपद्रव को रोकने के लिए प्लैट के भीतर कार्य क्षेत्र को विभाजित करने के लिए पर्याप्त जीआई अस्थायी विभाजन प्रदान करना शामिल होना चाहिए।
 - खिड़कियां आदि खोलने पर तख्तों के साथ अस्थायी आवरण आदि, जहां कहीं भी मरम्मत आदि के लिए खिड़कियां हटाई जाती हैं।
 - बाहरी पलस्तर करने के लिए और छत पर वॉटरप्रूफिंग बिछाने और मूल स्थिति में उसे फिर से ठीक करने के लिए छत से टीवी/केबल आदि के लिए मौजूदा एंटेना को सावधानीपूर्वक छानना/हटाना।
 - प्लैटों के अंदर के फर्नीचर को प्लास्टिक की चादरों से सावधानी से ढकना या यदि आवश्यक हो तो काम चल रहा हो तो उन्हें स्थानांतरित करना और दिन के अंत में क्षेत्र की सफाई करना।
6. सभी स्कैफोल्डिंग दोहरी परतों के होने चाहिए और दीवारों में छेद करके कोई सपोर्ट तंत्र नहीं बनाया जाना चाहिए।
7. कॉलोनी में किसी भी मजदूर को रहने की अनुमति नहीं होगी।

8. कार्यो के लिए बैंक द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। ठेकेदार को कार्यो के लिए अपनी लागत पर अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। ठेकेदार द्वारा आवश्यक भंडारण टैंक आदि भी बनाए जाएंगे।

9. काम के लिए बिजली की खपत का शुल्क ठेकेदार को वहन करना होगा।

	रूपक	
CuM		घन मीटर
SM		वर्ग मीटर
RM		Running
Metre		मीटर
KG		किलोग्राम
LS		एकमुश्त राशि (लंपसम)
NO		संख्या
QRO		केवल दर उद्धृत करें (Quote Rate Only)
MT		मीट्रिक टन

मात्रा का बिल

सामान्य:

1. मात्रा के बिल को ड्राइंग, संविदा की शर्तों और विनिर्देशों के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि ये दस्तावेज संयुक्त रूप से व्याख्यात्मक हैं और संविदा में शामिल कार्यो का वर्णनात्मक हैं।
2. संविदा दस्तावेजों में कहीं और दिए गए कार्य और सामग्री के सामान्य निर्देश और विवरण आवश्यक रूप से मात्रा के बिल में दोहराए गए हैं। जानकारी के लिए अन्य दस्तावेजों का संदर्भ दिया जाना है।
3. यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने अपनी निविदा तैयार करने से पहले साइट का दौरा किया है और खुद के लिए उन शर्तों की जांच की है जिनके तहत काम की कीमत तय की जाएगी और कार्य के निष्पादन और उसकी लागत को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक हैं।
4. मात्रा के बिल में काम और सामग्री की मात्रा को ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कार्य के दायरे और सामग्री को सीमित या विस्तारित करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। मात्रा के बिल में मात्रा , काम की

मात्रा का एक अनुमान है, लेकिन काम को पूरा करने पर मापा जाएगा और ठेकेदार को सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्य के वास्तविक माप पर भुगतान किया जाएगा।

5. उपयोग किए जाने वाले माप के किसी भी विशेष तरीके को प्रभावित वस्तुओं के लिए मात्रा के बिलों के शीर्ष पर या पाठ में बताया गया है। अन्य सभी मदों को ड्राइंग के अनुसार शुद्ध रूप से मापा जाता है और बर्बादी के लिए कोई भत्ता नहीं दिया गया है।
6. डाली गई कीमतें और दरें विभिन्न मदों के तहत वर्णित कार्यों का पूर्ण समावेशी मूल्य होना चाहिए, जिसमें सभी लागतें और व्यय शामिल हैं, जो वर्णित कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, साथ ही सभी लागत और दायित्वों के साथ संविदा की शर्तों, विनिर्देशों और रेखाचित्रों में निर्धारित या निहित हैं।
7. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, माप IS:1200 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार नहीं होगा।

परिशिष्ट यहां से पहले संदर्भित है

1. दोष देयता अवधि	वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 1 वर्ष।
2. अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग की तिथि से तीन महीने
3. प्रारंभ की तिथि	कार्य आदेश जारी करने या कार्य स्थल को सौंपने के दिन से 14 वां दिन, जो भी बाद में हो।
4. पूरा होने की तिथि	काम शुरू होने की तारीख से 100 दिन। (यदि फ्लैटों को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाता है, तो फ्लैट सौंपने की तारीख से प्रत्येक फ्लैट का पूरा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।)
5. बयाना धन जमा (ईएमडी)	सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं से 81,450/- रुपये
6. परिसमापन हर्जाना	परिसमापन हर्जाना (एलडी) की वसूली कार्य लागत के 0.25% की दर से होगी कुल निष्पादित कार्य राशि के 10% की सीमा के साथ निष्पादित किया गया।
7. प्रतिधारण धनराशि (आरएम)	अंतिम बिल से 5%
8. कुल सुरक्षा जमा (ईएमडी+आरएम)	(ईएमडी+आरएम)
10. वास्तविक रूप से पूरा होने के बाद प्रतिभूति जमा की किस्त वापस की जाएगी	काम पूरा होने के बाद पूर्ण ईएमडी वापस कर दिया जाएगा और दोष देयता अवधि की सफल समाप्ति के बाद प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी।
11. अंतरिम भुगतान के लिए काम का मूल्य	20 लाख रुपये या 4 फ्लैटों के नवीनीकरण कार्य को पूरा करना
12. अंतिम प्रमाण पत्र के वैधता की अवधि	3 महीने

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक:

उनकी कंपनी की मुहर के साथ

सामान्य शर्तें

सिविल और बढ़ईगीरी कार्य

1. **कार्य का दायरा:** कार्य के दायरे में बैंक द्वारा तैयार किए गए ड्राइंग और विनिर्देशों के अनुसार और निर्देश के तहत और बैंक की संतुष्टि के लिए "भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 9 फ्लैटों को वीओएफ में बदलना" शामिल है।

2. **संविदा:** संविदा का रूप मुद्रित रूप "संविदा की शर्तों" के अनुसार होगा। निम्नलिखित खंडों को विस्तार के रूप में माना जाएगा न कि ठेकेदार के दायित्व की सीमा में।

सभी महत्वपूर्ण चित्रों को बोर्डों पर रखा जाना चाहिए और रैक में रखा जाना चाहिए और अनुक्रमित किया जाना चाहिए।

3. **आयाम:** चित्रित आयाम सभी मामलों में स्केल किए गए आकारों को वरीयता में स्वीकार किए जाने चाहिए। बड़े पैमाने पर विवरण छोटे पैमाने पर चित्रों पर प्राथमिकता लेते हैं। यदि विसंगति है तो ठेकेदार को कार्य को आगे बढ़ाने से पहले स्पष्टीकरण मांगना होगा।

4. **ठेकेदार को अपनी दरों में शामिल करना होगा:** ठेकेदार दर बनाते समय सभी मदों को शामिल करेगा।

5. **साइट का निरीक्षण करने के लिए ठेकेदार:** ठेकेदार कार्य स्थल का दौरा करेगा और जांच करेगा और मौजूदा सड़कों या संचार के अन्य साधनों की प्रकृति, कार्य की सीमा और परिमाण और सामग्री प्राप्त करने के लिए सुविधाओं के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा और काम के निष्पादन को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर आम तौर पर अपनी जानकारी प्राप्त करेगा। इनमें से किसी भी बिंदु पर किसी भी गलतफहमी या गलत जानकारी या अपर्याप्त विवरण के आधार पर किए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निविदा को प्रस्तुत करने के लिए जानकारी प्राप्त करने के संबंध में ठेकेदार द्वारा किए गए सभी खर्च, जिसमें साइट पर उसका दौरा या निविदा संकलित करने के प्रयास शामिल हैं, निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. **साइट तक पहुंच:** ठेकेदार को कार्यों के लिए आवश्यक साइट तक पहुंच बनाने के लिए अपनी दरों में शामिल करना है।

7. **सेट आउट:** ठेकेदार योजनाओं के अनुसार कार्यों को निर्धारित करेगा। सभी ग्रीड/सेंटर लाइन को नियोक्ता की संतुष्टि के लिए चिह्नित किया जाएगा। ठेकेदार लाइनिंग आउट की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी अशुद्धि को अपने खर्च पर ठीक करेगा।

8. **निरीक्षण के लिए पहुंच:** ठेकेदार को कार्यों की प्रगति और रखरखाव की अवधि के दौरान हर समय सीढ़ी आदि के साथ पहुंच के उचित साधन प्रदान करना है और नियोक्ता द्वारा कार्यों के माप के निरीक्षण के लिए निर्देशित के रूप में स्थानांतरित करने और अनुकूलित करने के लिए आवश्यक उपस्थिति प्रदान करनी है।

9. सभी ट्रेडों पर उपस्थिति: सामान्य ठेकेदार को पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, विद्युत स्थापना, लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग, सुरक्षा उपकरण, हार्डवेयर, टेलीफोन और अन्य विशेषज्ञ ठेकेदारों के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त सभी ट्रेड्समैन या उप-ठेकेदारों / ठेकेदारों पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता होगी। उद्धृत दरों में सभी उपस्थिति शामिल होंगी और नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों को भी अपने स्कैफोल्ड का उपयोग करने और तब तक बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि प्रासंगिक उप-संविदा कार्य पूरा नहीं हो जाता है

10. गेटकीपर और चौकीदार: (यदि नियोक्ता द्वारा निर्देश के रूप में लागू हो): साइट के कब्जे में रखे जाने के समय से ठेकेदार को अपने खर्च पर रविवार और छुट्टियों सहित सभी दिनों में दिन और रात में काम, सभी सामग्री, श्रमिकों और जनता को देखने, प्रकाश और सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

11. परिवहन की लागत: ठेकेदार साइट पर और नियोक्ता द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्थानों पर इस काम के लिए आपूर्ति और माल और सामग्री के सभी परिवहन, अनलोडिंग, स्टैकिंग और भंडारण के लिए अपनी लागत में अनुमति देगा। ठेकेदार साइट पर सभी सामग्रियों (नियंत्रित या अन्यथा) के परिवहन के लिए अपनी कीमत की अनुमति देगा।

12. सामग्री, कारीगरी और नमूने: सामग्री अनुमोदित गुणवत्ता की होगी और अपनी तरह की सर्वोत्तम उपलब्ध होगी और आम तौर पर आईएस विनिर्देशों के अनुरूप होगी। ठेकेदार जितनी जल्दी हो सके काम के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का आदेश देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सामग्री काम में उपयोग के लिए आवश्यकताओं से काफी पहले साइट पर है। इसमें शामिल कार्य में गति और नियोक्ता की संपूर्ण संतुष्टि के साथ उच्च स्तर की कारीगरी की आवश्यकता होती है।

13. गैर-निविदा मदों के लिए दरें: मात्रा की अनुसूची में शामिल नहीं वस्तुओं की दरें नियोक्ता द्वारा तय की जाएंगी जैसा कि संविदा की शर्तों के भिन्नता खंड में उल्लिखित है।

14. शामिल दरें: उद्धृत दरें सभी लीड और लिफ्टों और तैयार कार्य के लिए होंगी।

15. अन्य ट्रेडों के लिए ठेकेदार से जानकारी प्राप्त करना: ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा निर्देशित अन्य ठेकेदारों से उनके कार्य से संबंधित सभी विवरणों (कार्य के क्रम तथा चेज, छिद्रों एवं समान वस्तुओं की स्थिति सहित) की जानकारी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इन विवरणों की अनुपस्थिति के कारण पहले से किए गए कार्य को हटाने हेतु कोई अतिरिक्त दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सामग्री का आदेश देने से पूर्व ठेकेदार को नियोक्ता से नमूना अनुमोदन समय पर प्राप्त करना अनिवार्य है।

16. कार्य और सामग्री का परीक्षण: ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित पद्धति के अनुसार कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री का परीक्षण अपनी लागत पर व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे उनकी दृढ़ता एवं दक्षता सिद्ध हो सके। सामग्री के नमूनों को परीक्षण हेतु भेजने से पूर्व, नमूनों को ठेकेदार तथा नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से मुहर लगाकर हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा प्रत्येक नमूने को विशिष्ट पहचान चिह्न दिया जाएगा। विभिन्न परीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर, सभी किए गए परीक्षणों के लिए उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें नमूनों के संबंधित पहचान चिह्न एवं परिणाम दर्शाए जाएंगे। यदि किसी ऐसे परीक्षण के उपरांत, नियोक्ता की राय में कार्य या कार्य का कोई भाग दोषपूर्ण या अस्थिर पाया जाता है, तो ठेकेदार को अपनी लागत

पर उस कार्य को तोड़कर पुनः करना होगा। परीक्षण के उपरांत दोषपूर्ण, अस्थिर या विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाई जाने वाली सामग्री को ठेकेदार द्वारा तत्काल साइट से हटा दिया जाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य/कार्य का भाग/सामग्री का परीक्षण नहीं कराया जाता है, तो नियोक्ता द्वारा ऐसे परीक्षण करवाए जाएंगे तथा ऐसे परीक्षणों से संबंधित सभी परीक्षण शुल्क एवं अन्य संबंधित व्यय को ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

इस तरह के किसी भी परीक्षण के बाद, नियोक्ता की राय में काम या कार्यों का हिस्सा दोषपूर्ण या अनुचित पाया जाता है, ठेकेदार अपने खर्च पर ऐसे कार्यों को हटा देगा और फिर से करेगा। परीक्षण के बाद दोषपूर्ण या अस्वस्थ घोषित या विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाई जाने वाली सामग्री को ठेकेदार द्वारा तुरंत साइट से हटा दिया जाएगा।

17. साइट को साफ-सुथरा करना : चूंकि कार्यालय परिसर में काम किया जाना है, ठेकेदार मलबे को हटाएगा और अपने खर्च पर हर दिन के अंत में परिसर को साफ करेगा और क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखेगा।

स्वीकृत सामग्री और आपूर्तिकर्ताओं की सूची

क्रम सं.	सामग्री	स्वीकृत निर्माता/ब्रांड नाम
1.	सीमेंट	लार्सन एंड टुब्रो, बिड़ला गोल्ड, गुजरात अंबुजा, एसीसी या समकक्ष स्वीकृत किया गया।
2.	मरीन प्लाईवुड	किटप्लाई, एंकर, सेंचुरी, सिल्वन प्लाई, ग्रीन प्लाई या समतुल्य अनुमोदित।
3.	बीडब्ल्यूआर ग्रेड फिनोल बॉन्डेड प्लाईवुड	स्वस्तिक, किट/केनवुड, मयूर, सिल्वन प्लाई, सेंचुरी, ग्रीन प्लाई या समतुल्य अनुमोदित।
4.	ब्लॉक बोर्ड	मैसूर मफतलाल, सिल्वन प्लाई, सेंचुरी, ग्रीन प्लाई या समतुल्य अनुमोदित।
5.	फाइबर बोर्ड (एमडीएफ, एलडीएफ)	नुवुड, नोवापन, स्वस्तिक, एंकर, सेंचुरी या समतुल्य अनुमोदित।
6.	पी.ओ.पी. बोर्ड	जिप्सम इंडिया या समतुल्य अनुमोदित।
7.	लैमिनेट्स	फॉर्मिका, डेकोलम, नियोलक्स, NAVImika, ग्रीन लैम, सदी या समतुल्य अनुमोदित।
8.	हैंडल	गोदरेज, डोरमा, हाफेल या स्वीकृत समकक्ष। या समतुल्य अनुमोदित।
9.	काँच	मोदी गार्ड, सेंट गोबेन, फ्लोट ग्लास इंडिया (असाही) या समतुल्य अनुमोदित।
10.	सॉफ्ट बोर्ड	जॉली बोर्ड या समतुल्य अनुमोदित।
11.	स्कू	जी.के.डब्ल्यू, अतुल, हिल्टी या समतुल्य अनुमोदित।
12.	हार्डवेयर	अर्ल बिहारी (ईबीसीओ), शालीमार, विजयन, सोबिट या समतुल्य अनुमोदित।
13.	एडहेसिव	फेविकोल एसएच, मफतलाल के मोविकोल एचवी, Ciba Geigy के Araldite, Bal Endura या समतुल्य अनुमोदित।

14.	डोर क्लोजर वार्निश	और डोरमा, एवराइट, हार्डविन, गोदरेज या समतुल्य अनुमोदित।
15.	ताले	गोदरेज, एनॉक्स, विजन/विजयन या समतुल्य अनुमोदित।
16.	लकड़ी परिरक्षक	बर्जर, शालीमार, एशियाई या समतुल्य अनुमोदित।
17.	जीआई शीट्स	टिस्को, सेल, जिंदल या समतुल्य अनुमोदित।
18.	सीमेंट प्राइमर	नेरोलैक, बर्जर, एशियाई पेंट या समतुल्य अनुमोदित।
19.	ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट सिंथेटिक	नेरोलैक बर्जर, एशियन पेंट या समतुल्य अनुमोदित।
20.	एनामेल पेंट	नेरोलैक, बर्जर, एशियन पेंट या समतुल्य अनुमोदित।

21.	लकड़ी का प्राइमर	शालीमार, एशियाई, बर्जर या समकक्ष स्वीकृत
22.	जिंक क्रोमेट (पीला) प्राइमर	शालीमार, एशियाई, बर्जर या समकक्ष स्वीकृत
23.	विट्रिफाइड टाइल्स	एच एंड आर जॉनसन, निटको, कजारिया, नवीन, सोमानी, आरएके या समतुल्य अनुमोदित।
24.	सिंथेटिक कार्पेट	डोनेयर या समकक्ष
25.	खनिज फाइबर टाइल	आर्मस्ट्रांग, या समकक्ष
26.	खनिज फाइबर टाइल के लिए फ्रेमिंग	आर्मस्ट्रांग द्वारा ब्लैक रिवील या समतुल्य अनुमोदित का चयन करें
27.	पीपीआर/यूपीवीसी पाइप	प्रिंस, सुप्रीम या समतुल्य अनुमोदित।
28.	जिप्सम बोर्ड	सेंट गोबेन या जिप्सम इंडिया या समकक्ष।
29.	एएसी ब्लॉक	इकोलाइट या सिपोरेक्स या समकक्ष।
30.	एफआरपी फ्रेम और दरवाजा	एवरलास्ट, श्रीजी या समकक्ष
31.	फायर रिटार्डेंट पेंट	शालीमार, बर्जर, या समतुल्य अनुमोदित।
32.	एल्यूमिनियम अनुभाग	जिंदल, हिंडाल्को या समतुल्य अनुमोदित।
33.	टाइल एडहेसिव या ग्राउट	बाल एंडुरा, रॉफ, पिडिलाइट, फॉसरोक या समतुल्य अनुमोदित।

34.	फ्लोर स्प्रिंग	डोरमा, हाफेल, डोरसेट या समतुल्य अनुमोदित।
35.	कोरियन	कोरियन, मेरिनो, एलजी या समतुल्य अनुमोदित।
36.	फ्लश दरवाजा	सेन्टुरी, हरा या समतुल्य अनुमोदित।
37.	यूपीवीसी विंडो	फेनेस्टा, एनक्राफ्ट या समतुल्य अनुमोदित।
38.	टेक्सर पेंट	नेरोलैक, बर्जर, एशियन पेंट या समतुल्य अनुमोदित।
39.	किचन सिंक	निराली या समकक्ष
40.	सिंक कॉक	जगुआर या समकक्ष

स्थान:

ठेकेदार का नाम:

दिनांक:

पता:

बयाना जमा राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप (प्रतिभूति बॉण्ड के रूप में स्टैप लगाया जाए)

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना (जिसे आगे "रिज़र्व बैंक" कहा जाएगा) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर्स में 9 फ्लैटों को वीओएफ में परिवर्तित करने की निविदा (जिसे आगे "उक्त निविदा" कहा जाएगा) के शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार एम/एस.[नाम]..... (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा) से बयाना राशि की मांग से छूट देने के लिए सहमत होने के बदले में, तथा उक्त ठेकेदार द्वारा उक्त निविदा में निहित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए रु.[राशि]...../- (केवल [शब्दों में राशि]) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, हम (जिन्हें आगे "बैंक" कहा जाएगा) यहां सहमत होते हैं और वादा करते हैं कि हम रिज़र्व बैंक को उक्त निविदा में निहित किसी भी शर्त या निर्देश के उल्लंघन के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक को हुए किसी भी हानि या नुकसान के लिए रु..... [राशि]/-

..... (केवल [शब्दों में राशि]) तक की क्षतिपूर्ति करेंगे तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग करने पर बिना किसी आपत्ति के, मांग प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उक्त राशि रु..... [राशि]...../- (केवल [शब्दों में राशि]) भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए किसी भी बयान और हमें दिए गए मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को हम चुनौती नहीं देंगे तथा यह गारंटी के तहत देय राशि के संबंध में अंतिम सिद्धि होगी, और हम इसका कोई सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं मानेंगे। हम यह भी वादा करते हैं कि हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेंगे, भले ही भारतीय रिज़र्व बैंक और उक्त ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद मौजूद हो या उत्पन्न हो।

हम,..... [बैंक का नाम]..... यह भी सहमत हैं कि इसमें निहित गारंटी उक्त निविदा को पूरा करने की अवधि तक पूर्णतया लागू रहेगी तथा यह तब तक प्रवर्तनीय रहेगी जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी बकाया जिनका भुगतान उक्त निविदा के तहत या इसके कारण हो, पूरी तरह से चुकाए नहीं जाते और इसके दावे संतुष्ट या निपटाए नहीं जाते, या जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त ठेकेदार द्वारा उक्त निविदा की शर्तों का पूर्ण एवं उचित पालन किए जाने का प्रमाणित नहीं कर देता और इस प्रकार गारंटी को निरस्त कर देता है; तथापि यह शर्त रहेगी कि चार महीने की अवधि पूरी होने के बाद या उक्त ठेकेदार और/या भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर संपूर्ण कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक बढ़ाई गई अवधि के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को इस गारंटी के तहत कोई अधिकार नहीं रहेंगे।

हम,..... [बैंक का नाम]..... अंततः यह वादा करते हैं कि हम इस गारंटी को इसकी मान्यता की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं निरस्त करेंगे।

उपर्युक्त में कुछ भी कहा जाए, इस गारंटी के तहत हमारी देयता रु.[राशि]...../-

(केवल[शब्दों में राशि].....) तक सीमित है। हमारी गारंटी चार महीने या उक्त ठेकेदार और/या भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर हमारे द्वारा दी गई बढ़ाई गई तिथि तक लागू रहेगी। यदि इसके बाद तीन महीनों के भीतर इस गारंटी के तहत कोई दावा लागू करने के लिए हमारे विरुद्ध कोई मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, तो उक्त गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे तथा हम उससे संबंधित सभी देयताओं से मुक्त हो जाएंगे।

कार्य निष्पादन बैंक गारंटी का रूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

यह गारंटी पत्र इसदिन,..... माह,..... वर्ष कोबैंक [बैंक का नाम] (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) एक पक्ष के रूप में, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "रिज़र्व बैंक" कहा जाएगा) दूसरे पक्ष के रूप में, के बीच बनाया गया।

जबकि रिज़र्व बैंक ने[परियोजना का नाम]..... के लिए संविदा एम/एस..... [ठेकेदार का नाम] (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) को सौंपी है (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा)।

और जबकि ठेकेदार संविदा के अनुसार रिज़र्व बैंक को कुल राशि रु..... [राशि] (केवल[शब्दों में राशि]) की कार्य निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

1. अब हम, अधोहस्ताक्षरीजो[बैंक का पूर्ण नाम]..... के नाम, लाभ और दायित्वों को स्वीकार करने और हस्ताक्षर करने के लिए पूर्णतः अधिकृत हैं, घोषणा करते हैं कि उक्त बैंक उल्लिखित पूर्ण राशि रु. [राशि] (केवल [शब्दों में राशि]) की गारंटी रिज़र्व बैंक को देगा।
2. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त संविदा पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, बैंक रिज़र्व बैंक को लिखित आदेश प्राप्त होने पर उल्लिखित पूर्ण राशि तक की राशि भुगतान करेगा, जिससे ठेकेदार द्वारा संविदा के तहत किए गए कार्यों में उत्पन्न किसी भी दोष, अधूरापन या दायित्वों की क्षतिपूर्ति हो सके। बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा मांग करने पर तुरंत, बिना किसी विलंब, बिना ठेकेदार से परामर्श किए, और बिना किसी पूर्व सूचना, न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया की आवश्यकता के, राशि भुगतान करेगा। बैंक, ठेकेदार द्वारा किसी अदालत, न्यायाधिकरण या निर्णायक के समक्ष लंबित किसी विवाद के बावजूद भी, मांग की गई राशि का भुगतान करेगा। इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्णतया निश्चित और असंदिग्ध होगा।
3. यह गारंटी[तिथि]..... (वास्तविक पूर्णता की तिथि) या इसकी बढ़ाई गई अवधि तक वैध रहेगी।
4. इस गारंटी की वैधता अवधि के दौरान, यदि रिज़र्व बैंक ठेकेदार को समय विस्तार प्रदान करता है या ठेकेदार संविदा में निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करता या उपरोक्त धारा 2 में उल्लिखित दायित्वों का निर्वहन नहीं करता, तो बैंक रिज़र्व बैंक के मांग पर ठेकेदार के खर्च पर समान शर्तों में गारंटी को आवश्यक समय तक विस्तारित करेगा।

5. इस गारंटी की वैधता बैंक या ठेकेदार के संविदान के किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
6. रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी राशि के भुगतान को लागू करने में लापरवाही या समय सीमा बढ़ाना, बैंक के दायित्व को इस दस्तावेज के तहत किसी भी रूप में मुक्त नहीं करेगा।
7. इस दस्तावेज में उपयुक्त "रिज़र्व बैंक", "बैंक" और "ठेकेदार" शब्दों का अर्थ उनके क्रमशः उत्तराधिकारियों और अधिकारियों को शामिल करता है।

साक्ष्य स्वरूप, हम, बैंक के अधिकारी, नेइस दिन..... माह..... 2025 को अपने हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर इस गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके लिए हम पूर्णतः अधिकृत हैं।

के लिए और की ओर से

.....बैंक का नाम

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

बैंक की स्टाम्प/मुहर:
.....

की उपस्थिति में:

उपर्युक्त नामित द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपूरद

गवाह -1

गवाह -2

नाम:.....

नाम:.....

पता:

पता:.....

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार को सत्यापित किया जाएगा)।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
पटना-800001

दिनांक:
स्थान:

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 9 फ्लैटों को वीओएफ में बदलना

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है और पटना में एक कार्यालय है (जिसे इसके बाद 'नियोक्ता' कहा जाता है) ने निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर "भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में फ्लैट को वीओएफ में बदलना" (इसके बाद 'कार्य' के रूप में संदर्भित) कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

1. निविदा आमंत्रण की एक शर्त यह है कि निविदाकर्ता को संविदा की शर्तों के अनुसार व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (Comprehensive AMC) के लिए रु. ____/- (केवल _____) की सुरक्षा जमा राशि हेतु बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
2. **मेसर्स** ____ (इसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा), जो हमारे ग्राहक हैं, उक्त संविदा के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किए हैं तथा हमसे नियोक्ता के प्रति उक्त रु. ____/- (केवल _____) की राशि के लिए गारंटी प्रदान करने का अनुरोध किए हैं।

अब यह गारंटी इस बात की साक्षी है कि:

1. हम (बैंक) यह स्वीकार करते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, उनके उत्तराधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रति यह प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि नियोक्ता यह निष्कर्ष निकालता है कि निविदाकर्ता ने निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया या उनका उल्लंघन किया है (जिस निष्कर्ष को हमारे लिए बाध्यकारी माना जाएगा), तो हम नियोक्ता द्वारा मांग के समय रु. ____/- (केवल _____) या कम राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के करेंगे। यह गारंटी निविदाकर्ता द्वारा संविदा के अंतर्गत कर्तव्यों के पालन हेतु जमा राशि के रूप में मानी जाएगी, बशर्ते हमारी दायित्व सीमा रु. ____/- (केवल _____)

से अधिक न हो।

2. नियोक्ता द्वारा संविदा की शर्तों को लागू करने, निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित शर्तों का पालन करने, या ठेकेदार को समय या रियायत प्रदान करने में कोई उपेक्षा या अनुमति हमारे दायित्व को समाप्त नहीं करेगी। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन या हमारे द्वारा रु. ____/- (केवल _____) से अधिक राशि के भुगतान से समाप्त होगी। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि नियोक्ता द्वारा लिखित नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर दावा की गई राशि का भुगतान करेंगे, तथा नियोक्ता का नोटिस हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
3. यह गारंटी नियोक्ता एवं ठेकेदार के मध्य किसी भी समझौते से स्वतंत्र है। नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना हम इसे निरस्त नहीं करेंगे।
4. हम आगे स्वीकार करते हैं कि:
 - (a) नियोक्ता द्वारा दी गई रियायत हमारे दायित्व को समाप्त नहीं करेगी।
 - (b) हमारी दायित्व सीमा रु. ____/- (केवल _____) से अधिक न होगी।
 - (c) इस करार के तहत हमारा दायित्व उक्त कार्य या उसके तहत उनके दायित्वों के लिए निविदा देने में हमारे उक्त घटकों की ओर से या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता से प्रभावित नहीं होगा।
 - d) यह गारंटी तब तक लागू रहेगी _____ बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा वांछित है, तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा उन्हीं नियमों और शर्तों पर इंगित किया जा सकता है जैसा कि यहां निहित है।
 - (e) इस दस्तावेज के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन दस्तावेजों को नवीनीकृत नहीं किया जाता है जैसा कि ऊपर दिए गए हैं या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र जो भी तारीख बाद में हो, निर्णायक प्रमाण है। इस दस्तावेज़ के पुनर्नवीनीकरण की तिथि या ठेकेदार द्वारा कर्तव्यों के पालन की तिथि (जिसका प्रमाण नियोक्ता का लिखित प्रमाणपत्र होगा) में से बाद वाली तिथि के छह माह के भीतर दावा दायर न किया जाए, तो यह गारंटी समाप्त हो जाएगी। और हमें इसके तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

भवदीय,

बैंक के लिए और उसकी ओर से
(अधिकृत अधिकारी द्वारा मुहर सहित)



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
पटना
भाग - II

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के राजेंद्र नगर स्टाफ क्वार्टर में 9 फ्लैटों को वीओएफ में बदलना

के लिए ई-निविदा

निविदाकर्ता का नाम:

पता:

(नोट: इस दस्तावेज़ में दर उद्धृत न करें। सभी दरों को एमएसटीसी पोर्टल में ऑनलाइन उद्धृत किया जाना चाहिए। चार्ट में सभी आइटम केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के रूप में दिखाए गए हैं)

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। उक्त उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को जवाब देने के उद्देश्य को छोड़कर, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर इसकी प्रतिलिपि, वितरण या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग सख्त वर्जित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

पटना

मात्रा की अमूल्यित अनुसूची

क्रम सं.	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	इकाई
1	निराकरण		
	मौजूदा IPS/ कोटा / मार्बल मोज़ेक फ्लोरिंग/ टाइल डैडो फिनिश को सावधानीपूर्वक विघटित करना और हटाना, जो कास्ट इन सिटू/ पीसीसी/ मोज़ेक टाइल डैडो के साथ बेड मोर्टार/ सीमेंट प्लास्टर, स्किर्टिंग के साथ है, आवश्यक गहराई और ऊँचाई तक, पूरे फ्लैट में, शौचालय, बाथरूम और रसोई क्षेत्र सहित, मौजूदा रसोई प्लेटफॉर्म, रसोई शेल्फ, आरसीसी लॉफ्ट आदि को हटाना। उद्धृत दर में सतहों को आसपास के समान बनाने के लिए क्षति की मरम्मत, जीआई पाइप, सिंक और फिटिंग्स जैसी सेवायोग्य सामग्री को निर्दिष्ट स्थान पर स्टैक करना और असेवायोग्य सामग्री/ कचरे को परिसर से बाहर हटाना और ले जाना आदि शामिल होगा, जैसा बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाए। विघटित क्षेत्र की दीवार और छत की मरम्मत आवश्यकतानुसार सी:एम (1:4) में प्लास्टरिंग करके की जाएगी। शौचालय, बाथरूम और रसोई के सनकन क्षेत्र की सतह को सावधानीपूर्वक विघटित करना भुगतान के लिए मापा नहीं जाएगा और इसे ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर मरम्मत/ पुनः प्लास्टर किया जाएगा। रसोई, बाथरूम, शौचालय, पासेज वॉश बेसिन क्षेत्र में टाइल और प्लास्टर को 2100 मिमी की ऊँचाई तक सावधानीपूर्वक विघटित करना, जब तक कि ईंटें दिखाई न दें।	9	Flat
2	ईंट की दीवार तोड़ना		
	ईंट की दीवार को हाथ से या मशीनों की मदद से तोड़ा जाएगा। उपयोग के लायक सामग्री को एक जगह ढेर किया जाएगा, जबकि जो सामग्री फिर से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, उसे बैंक के परिसर के बाहर नगर निगम द्वारा मंजूरी प्राप्त स्थान पर डाला जाएगा। सभी काम बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार किए जाएंगे।	54	cum
3	आधा ईंट का काम		
	हर स्तर पर, सी:एम 1:4 के अनुपात में आधा ईंट का काम करना है — जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों का इस्तेमाल होगा। हर चौथी परत पर 6 मिमी व्यास की दो वलय पुनर्बलन लगानी है। अगर जरूरत हो, तो संलग्न पत्थर या ईंट की दीवार के साथ कुंजी बनाकर जोड़ना है। जोड़ों को साफ करना, उनका उचित उपचार करना, और जरूरी स्कैफोल्डिंग आदि भी शामिल है — सभी काम निर्देशों के अनुसार पूरा करना है।	25	-cum

4	आंतरिक प्लास्टर		
	दीवार की सतह पर 15-20 मिमी मोटाई का आंतरिक प्लास्टर लगाना, जिसमें सीमेंट और बारीक बजरी का अनुपात 1:4 होगा। यह कार्य सभी ऊँचाइयों और स्तरों पर, बैंक के इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देशानुसार, सभी लीड और लिफ्ट के साथ पूरा किया जाएगा। परिवेश के अनुरूप सभी कार्य पूर्ण करना — जैसे स्कैफोल्डिंग लगाना, साइट की सफाई करना, चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना आदि। इसमें क्षतिग्रस्त छतों, बीम और ईट की दीवारों की मरम्मत भी शामिल है, खासकर रसोई, बाथरूम और शौचालय क्षेत्रों में 2100 मिमी ऊँचाई तक। सभी कार्य बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पूरे किए जाएंगे	1800	वर्गमीटर
5	विट्रिफाइड फ्लोर टाइल्स		
	लगभग 600x600 मिमी (या बैंक के इंजीनियर द्वारा मंजूर किसी अन्य आकार) के 8 से 10 मिमी मोटाई वाले विट्रिफाइड टाइल्स की आपूर्ति और लगाने का काम करना। ये टाइल्स IS: 15622 के मानकों के अनुरूप होंगे और उनका जल अवशोषण 0.08% से कम होगा। इन्हें CM 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी बजरी) के प्लास्टर पर लगाया जाएगा। जोड़ों को टाइल के रंग से मिलते-जुलते ग्राउट से भरा जाएगा, और फर्श की सफाई भी शामिल है। सभी काम बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार होंगे। दर में टाइल काटना, अपशिष्ट, उपचार, समतलन और समाप्ति सभी शामिल हैं। अतिरिक्त कंक्रीट/एडहेसिव/सीमेंट मोर्टार लगाकर सतह को स्तरबद्ध और ध्वनि-सुरक्षित बनाया जाएगा, और ऑक्सैलिक एसिड से सफाई भी की जाएगी। (टाइल की आधार दर, जीएसटी छोड़कर, 550 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।)	500	वर्गमीटर
6	स्कर्टिंग		
	सीएम 1: 4 (1 सीमेंट: 4 मोटे रेत) में बैंकिंग प्लास्टर पर साफ सीमेंट पेस्ट के साथ तय दीवार पर अनुमोदित गुणवत्ता के 8 से 10 मिमी मोटी विट्रिफाइड टाइल की 100 मिमी ऊँची स्कर्टिंग प्रदान करना और फिक्सिंग करना। दर में जोड़ों को मैचिंग शेड के ग्राउट से भरना, सभी कटिंग, उचित फिनिशिंग, सफाई, बैंक के परिसर से मलबे को हटाना, उपचार करना, सही प्लंब लाइन और लेवल में काम करना आदि शामिल होंगे। दर में अंत में ऑक्सैलिक एसिड के साथ सतह की सफाई शामिल होगी, जो बैंक द्वारा निर्देशित के रूप में पूरी होगी। (टाइल की मूल दर जीएसटी को छोड़कर 550 रुपये वर्गमीटर होगी)।	60	वर्गमीटर
7	डैडो टाइल्स		

	300 मिमी x 450 मिमी या किसी अन्य मंजूर आकार की शेड के लिए पहली गुणवत्ता की सिरामिक टाइल्स की आपूर्ति और लगाना, जो आवश्यक ऊँचाई तक डैडो के रूप में लगाई जाएंगी। टाइल्स को 20 मिमी मोटाई या आवश्यक मोटाई के सीमेंट मोर्टार (1 सीमेंट : 4 मोटी बालू) के मिश्रण में लगाया जाएगा, जिसमें निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार जलरोधक यौगिक भी मिलाया जाएगा। टाइल्स को धूसर सीमेंट पेस्ट में लगाया जाएगा, और जोड़ों को सफेद सीमेंट और मिलते-जुलते रंग के पिगमेंट से भरा जाएगा। काम पूरा होने के बाद, सतह को ऑक्सैलिक एसिड या किसी अन्य सफाई रसायन से साफ किया जाएगा, और सभी कार्य बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पूरा किए जाएंगे।	190	वर्गमीटर
	(टाइल की मूल लागत 500 / प्रति वर्गमीटर जीएसटी को छोड़कर)		
8	सिरेमिक फ्लोर टाइल्स		
	300x300x8 मिमी या किसी अन्य मंजूर मानक मोटाई के पहली गुणवत्ता के सिरामिक टाइल्स की आपूर्ति और लगाना — रंग, छाया और ब्रांड (जैसे जॉनसन, सोमनी, काजरिया या कोई अन्य समतुल्य स्वीकृत) के अनुसार — एक उचित मोटाई के बिस्तर मोर्टार (1:4) पर, ग्रे सीमेंट और जलरोधक यौगिक के साथ। इससे पहले मौजूदा फर्श या टाइल्स और उनके बैकिंग मोर्टार को हटाया या तोड़ा जाएगा, फिर उचित सीमेंट स्लरी लगाकर ठोका जाएगा, जोड़ों को सफेद वर्णकों से भरा जाएगा, और सभी काम रेखा, स्तर और बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा।	55	वर्गमीटर
	(टाइल की मूल लागत 450 / प्रति वर्गमीटर जीएसटी को छोड़कर)		
9	दरवाजों की मरम्मत		
a)	दरवाजे की शटर को उसकी मौजूदा जगह से हटाकर, बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार किसी सुरक्षित स्थान पर लघु मरम्मत के बाद वापस लगाना है। साथ ही, सभी पुराने एम.एस. हिंजेज को बदल देना है।	54	nos
b)	बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित 150 मिमी ग्रिप लेंथ लॉन्ग हैवी क्वालिटी एसएस हैंडल (मूल मूल्य 350/- रुपये प्रति यूनिट) को अनुमोदित डिजाइन और मेक आदि प्रदान करना और ठीक करना	108	nos
c)	250 मिमी लंबे भारी गुणवत्ता वाले एसएस टॉवर बोल्ट (मूल मूल्य 350 / - प्रति यूनिट) को बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित डिजाइन और मेक आदि प्रदान करना और ठीक करना	54	nos
d)	16 मिमी. व्यास और 10 इंच लंबा एक भारी और दृढ़ एसएस एलड्रॉप हैंडल (मूल कीमत ₹600 प्रति इकाई) बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार लगाया जाएगा। यह हैंडल भी उच्च मानकों के अनुरूप डिजाइन और बनावट वाला होगा।	54	nos
10	नेटलोन जाली		

	टफलेक्स ब्रांड के रेडियम प्रिंट में उचित आकार, लाइन और स्तर पर या मंजूरी प्राप्त समतुल्य के रूप में नई नेटलॉन जाली की आपूर्ति और फिक्सिंग, आवश्यक वेल्करो, कीलें आदि के साथ जैसा निर्देशित किया जाए। नेटलॉन जाली को खिड़की फ्रेम के ऊपर फिक्स किया जाना चाहिए।	650	वर्गमीटर
11	लॉफ्ट शटर		
	आवश्यक आकार (अस्थायी आकार 0.90 मीटर x 0.90 मीटर 0.45 मीटर) के डबल लीफ में लकड़ी के लॉफ्ट शटर को बनाने और ठीक करने की सुविधा प्रदान करना	9	वर्गमीटर
	a) चारों तरफ 65x35 मिमी आकार के द्वितीय श्रेणी के सागौन की लकड़ी के फ्रेम को आवश्यक स्कू और रावल प्लग के साथ तय किया जाएगा।		
	b) सभी कटे हुए किनारों पर 6 मिमी मोटी सागौन की लकड़ी के साथ शटर के लिए अनुमोदित आईएसआई चिह्नित वाटरप्रूफ ब्लॉक बोर्ड का 18/19 मिमी मोटी जलरोधक/दीमक प्रतिरोधी।		
	c) सागौन की लकड़ी/19 मिमी प्लाई मोल्डिंग 32 मिमी x 12 मिमी फ्रेम के सभी तरफ पतला आकार में अनुभाग में		
	d) गोदरेज मेक के 75 मिमी x 47 मिमी x 17 मिमी स्टेनलेस स्टील टिका		
	e) 2 नहीं। गोदरेज के भारी गुणवत्ता वाले 20 मिमी एसएस हैंडल आवश्यक शिकंजा और चुंबक पकड़ने वाले के साथ बनाते हैं।		
	f) गोदरेज मेक का एक ताला		
	दर में बैंक द्वारा अनुमोदित शेड में शटर दरवाजे के बाहर 1 मिमी लेमिनेट और 1 मिमी लेमिनेट लगाना भी शामिल होगा और इंजीनियर-प्रभारी द्वारा निर्देशित किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना काम के निष्पादन के दौरान आसपास के फिनिश को हुए नुकसान की मरम्मत करनी होगी।		
12	पर्दे की छड़		
	मैक/विस्टा के दरवाजों और खिड़कियों के लिए अनुमोदित मेक एंड डिजाइन या बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किसी भी समतुल्य अनुमोदित मेक के ब्रेकेट, नॉब, पिनियन आदि के साथ सजावटी पर्दे की रॉड प्रदान करना और ठीक करना।	90	आरएमटी
	रॉड की मूल दर – जीएसटी को छोड़कर रु. 500/- आरएमटी		
13	सादा सीमेंट कंक्रीट		
	निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार तरल जल प्रूफिंग रासायनिक यौगिक (पिडिलाइट या समकक्ष के पिडीक्रीट यूआरपी) के साथ मिश्रित सीमेंट कंक्रीट (1: 2: 4) प्रदान करना और शीर्ष सतह को दिशा के अनुसार परिष्करण सामग्री आदि प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाएगा।	5	cum

14	सीपीवीसी पाइप		
	प्रदान करना और फिक्सिंग अनुमोदित समकक्ष सुप्रीम, प्रिंस या अनुमोदित मेक का सीपीवीसी पाइप को सभी आवश्यक अनुमोदित फिटिंग जैसे टी, एल्बो, सॉकेट, क्लैंप के साथ ईट में होल्स / ग्रुव को काटने और उन्हें अच्छा बनाने, मौजूदा लाइनों के साथ कनेक्शन बनाने, सभी स्तरों पर काम करने वाले परीक्षण को बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पूरा करें।		
	a) 20 मिमी व्यास (सांकेतिक आकार)	90	आरएमटी
	b) 25 मिमी व्यास (सांकेतिक आकार)	30	आरएमटी
15	पीवीसी पाइप		
	आईएसआई चिह्नित एस्ट्रल, सुप्रीम / प्रिंस या समकक्ष अनुमोदित एमएस क्लैंप के साथ पीवीसी अपशिष्ट पाइप प्रदान करना और फिक्सिंग करना निर्माताओं के विनिर्देशों के अनुसार लीड कॉकिंग ज्वाइंट्स के साथ सभी जंक्शन, मोड़, टी ज्वाइंट, ऑफसेट आदि शामिल हैं। इस कार्य में बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार कटिंग, दीवारों, फर्श, आरसीसी कार्य आदि को ठीक करना, सभी को पूरा करना शामिल है।	20	आरएमटी

	a) 100-110 मिमी व्यास (सांकेतिक आकार)		
16	नाहानी ट्रेप		
	उपयुक्त आकार के स्टेनलेस स्टील इंड्ररी के साथ भारी गुणवत्ता वाले 80 मिमी व्यास पीवीसी नहानी ट्रेप प्रदान करना और फिक्स करना, जिसमें निर्माता के विनिर्देश के अनुसार सीमेंट और आवश्यक वाटर प्रूफिंग कंपाउंड के साथ अपशिष्ट लाइन तक कनेक्शन बनाना शामिल है, जिसमें मौजूदा आसन्न फिनिश आदि के अनुसार फर्श आदि की मरम्मत शामिल है। सभी कार्य बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए निर्देश के अनुसार पूरा किए जाएंगे।	9	no
17	वाल्व		
	जीआई इनलेट लाइन में जोलोटी या अनुमोदित समतुल्य ब्रांड के 15 मिमी/20 मिमी व्यास के फुल वे वाल्व की आपूर्ति एवं फिटिंग, जिसमें कटिंग, थ्रेडिंग, आवश्यक टैपलॉन आदि सभी कार्य निर्देशानुसार पूर्ण रूप से शामिल हैं। फुल वे वाल्व की आधार दर- रु. 1000/- (जीएसटी अलग से)	9	no
18	वॉश बेसिन		
	हिंदवेयर या स्वीकृत ब्रांड के 55 सेमी x 40 सेमी आकार के पेडिस्टल टाइप वॉश बेसिन की आपूर्ति एवं लगाना, जिसमें भारी प्रकार का सी.पी. पीतल मिक्सर, एंगल स्टॉप कॉक, 15 मिमी व्यास के सी.पी. कनेक्टर पाइप, सी.पी. वेस्ट कपलिंग, 32 मिमी पीवीसी वेस्ट पाइप तथा 50 मिमी व्यास की पीवीसी वेस्ट लाइन फ्लोर ट्रेप तक आदि सभी स्वीकृत ब्रांड के शामिल हैं, ज्वाइंट्स को सफेद सीमेंट में मिलाए गए मिलते-जुलते रंग के पिगमेंट से भरना आदि, बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्ण। वॉश बेसिन के साथ पेडिस्टल की मूल लागत – रु. 3500/- (जीएसटी छोड़कर) और बेसिन मिक्सर रु. 1350/- (जीएसटी छोड़कर)	9	no
19	इंडब्ल्यूसी		

	स्वीकृत ब्रांड जैसे हिंदवेयर या अनुमोदित समतुल्य के नए ईडब्ल्यूसी की आपूर्ति एवं लगाना, जिसमें "पी" या "एस" टैप और ड्यूअल फ्लश टैंक जुड़ा हो तथा ठोस सीट कवर हो। उद्धृत दर में मौजूदा डब्ल्यूसी को उसकी स्थिति से हटाने की लागत शामिल होगी, जिसमें इसकी फिटिंग, फ्लश टैंक, डब्ल्यूसी से मौजूदा मिट्टी की लाइन तक आवश्यक व्यास के मिट्टी पाइप/फिटिंग की आपूर्ति एवं लगाना, दीवार/फर्श में छेद बनाना और क्षति की मरम्मत आदि शामिल होगा, जैसा बैंक इंजीनियरों द्वारा निर्देशित किया जाए।	9	no
	सिस्टर्न के साथ ईडब्ल्यूसी की मूल लागत – रु. 4500/- (जीएसटी को छोड़कर)		
20	मेडिसिन चेस्ट		
	0.31 मीटर x 0.41 मीटर x 0.12 मीटर आकार के मानक आकार और आकृति वाले मंजूरी प्राप्त ब्रांड के मेडिसिन चेस्ट की आपूर्ति और लगाना, जो 10 मिमी मोटाई की एक्रिलिक शीट से बना हो। दर में पीतल के उपकरण, मौजूदा लकड़ी के मेडिसिन चेस्ट को हटाना आदि सभी शामिल होगा, जैसा बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाए।	9	no
	मेडिसिन चेस्ट की मूल दर रु. 1800/- (जीएसटी को छोड़कर) है		
21	ईएसएससीओ/जगुआर, मार्क या अनुमोदित समकक्ष ब्रांड सीपी पीतल की फिटिंग प्रदान करना और फिक्स करना जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:		
a)	15 मिमी व्यास दो तरह से बिब कॉक (मूल दर 975/- रुपये जीएसटी को छोड़कर)	9	no
b)	ESSCO का एंगुलर स्टॉप कॉक बनाता है। (मूल दर 500/- रुपये जीएसटी को छोड़कर)	45	no
c)	ESSCO के बिब कॉक बनाते हैं। (मूल दर 500/- रुपये जीएसटी को छोड़कर)	9	no
d)	ESSCO के वॉल मिक्सर के साथ ओवरहेड शावर। (मूल दर 4300/- रुपये जीएसटी को छोड़कर)	9	सेट
e)	जगुआर की सीपी टॉवेल रिंग (मूल दर 800/- रुपये जीएसटी को छोड़कर)	9	no
f)	वॉशबेसिन के ऊपर ग्लास शेल्फ (2' आकार) (मूल दर 850 रुपये / - जीएसटी को छोड़कर)	9	no
g)	डबल कोट हुक (मूल दर 400/- रुपये जीएसटी को छोड़कर)	9	no
h)	कॉर्नर ग्लास शेल्फ (मूल दर 850/- रुपये जीएसटी को छोड़कर)	9	no
i)	सॉप डिश (मूल दर 500/- रुपये जीएसटी को छोड़कर)	18	no
j)	टम्बलर/टूथ ब्रश होल्डर (जीएसटी को छोड़कर मूल दर रु. 750/-)	9	no
k)	वॉशिंग मशीन के लिए टैप करें (जीएसटी को छोड़कर मूल दर रु. 500/-)	9	no
l)	ग्रेब बार 692 मिमी लंबा (मूल दर जीएसटी को छोड़कर 2136/- रुपये)	9	no
22	दर्पण/मिरर		no

	मोदी या टाटा या सेंट गोबेन के अनुमोदित गुणवत्ता वाले 6 मिमी फ्लोट ग्लास मिरर की आपूर्ति और फिक्सिंग या स्टेनलेस स्टील माउंट स्टैंड-ऑफ बोल्ट स्कू स्टड पर 600 मिमी x 600 मिमी आकार का कोई भी अनुमोदित मेक।	9	no
23	वॉटरप्रूफिंग कार्य:		
	निम्नलिखित तरीके से बाथ, वी.सी. वॉश बेसिन क्षेत्र, किचन मोरी क्षेत्र के मौजूदा सनकन भाग में जलरोधी उपचार ब्रिक बैट कोबा ट्रीटमेंट प्रदान करना और लगाना। सनकन भाग की लगभग गहराई 50 सेमी है।	9	cum
	सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट : 4 मोटी रेत) में स्थानीय रूप से उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली अच्छी तरह से जली हुई कटी हुई ईंटों का उपयोग करके सनकन फर्श पर ब्रिक बैट कोबा प्रदान करना और लगाना, जिसमें निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार जलरोधी यौगिक मिलाया गया हो, सीमेंट मोर्टार की ऊपरी परत / सनकन भराव की ऊपरी सतह को फर्श को प्राप्त करने के लिए झाड़ू से खुरदरा करना।		
	a) ऊपर वस्तु संख्या 1 में तैयार किए गए आर.सी.सी. सतह को पानी और तार की ब्रश से साफ करना ताकि सभी ढीली धूल और गंदगी हट जाए।		
	b) दीवारों पर (पूर्ण फर्श स्तर से 30 सेमी ऊपर तक) फर्श आदि पर सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट : 4 मोटी रेत) में 12 मिमी औसत मोटाई की सीमेंट प्लास्टर प्रदान करना और करना, जिसमें पिडिलाइट का जलरोधी यौगिक मिलाया गया हो, और साफ किए गए आर.सी.सी. सतह पर पिडिलाइट द्वारा निर्मित पिडिक्रीट यूआरपी या मंजूरी प्राप्त समकक्ष का एक परत लगाना, जो निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार हो।		
	c) ऊपर (b) में किए गए कोटिंग पर पिडिलाइट के पिडिफिन 2K या मंजूरी प्राप्त समकक्ष के दो परतों को ब्रश से लगाना, जो निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार हो। दूसरी परत पहली परत की टच ड्राई स्थिति पर लगाई जाएगी (पूर्ण फर्श स्तर से 30 सेमी ऊपर तक)।		
	d) ऊपर (c) में किए गए कोटिंग पर दीवारों, फर्श आदि पर सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट : 4 मोटी रेत) में 15 मिमी औसत मोटाई की सीमेंट प्लास्टर प्रदान करना और करना, जिसमें साफ सीमेंट फिनिश शामिल हो, साथ ही उपचार, स्कैफोल्डिंग आदि सहित पूर्ण।		
	e) ऊपर (e) में किए गए प्लास्टर स्तर और टाइल फर्श के आधार पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक स्तर के बीच सनकन भाग को भरना, जिसमें सीमेंट मोर्टार 1:4 में ब्रिक बैट कोबा का उपयोग किया जाएगा, जिसमें निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार अंतर्निहित जलरोधी यौगिक मिलाया गया हो।		

	<p>दर में बैंक के परिसर से बाहर कचरे का निपटान, स्कैफोल्डिंग, सभी स्तरों पर कार्य, 72 घंटे के लिए क्षेत्र का पोंड परीक्षण आदि शामिल होगा, जैसा कि बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाए। फर्म को न्यूनतम 5 वर्ष के लिए जलरोधी गारंटी प्रदान करनी होगी, जो 1000 रुपये के डाक टिकट पर होगी और बैंक द्वारा मंजूरी प्राप्त प्रारूप में होगी।</p>		
24	ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट		
	<p>प्रथम श्रेणी गुणवत्ता वाले ऑयल आधारित डिस्टेंपर/सफेद पेंट की मौजूदा परत को हटाना, सतहों की तैयारी करना जिसमें समतल सतह बनाने के लिए पट्टी भरना शामिल है। अनुमोदित मेक के ऑयल आधारित सीमेंट प्राइमर की बेस कोट लगाना और अनुमोदित मेक और विनिर्देश के अनुसार रंग की प्रीमियम गुणवत्ता वाली ऐक्रेलिक एमल्शन पेंट की दो या अधिक कोट लगाना, जिसमें आंतरिक सतहों के लिए दीवारों, बीम, स्तंभ, कैनॉपी, सीढ़ियों, लॉबी आदि के लिए स्कैफोल्डिंग आदि शामिल है, जैसा निर्देशित किया गया हो और विनिर्देश के अनुसार हो।</p>	1550	वर्गमीटर
25	बालकनी में बाहरी पेंट		
	<p>मौजूदा पेंट की परत को हटाना, पट्टी भरकर सतहों की तैयारी करना ताकि सतह समतल हो जाए। अनुमोदित मेक का बेस कोट प्राइमर प्रदान करना और लगाना तथा दीवारों, बीम, स्तंभ, कैनॉपी, सीढ़ियों, लॉबी आदि की सतहों पर आवश्यक रंग के अनुमोदित मेक और कलर के स्कैफोल्डिंग सहित बाहरी एमल्शन पेंट के दो या अधिक कोट लगाना, जैसा कि विनिर्देशों में दिया गया है।</p>	155	वर्गमीटर
26	सिंथेटिक तामचीनी पेंट		
	<p>मौजूदा पेंट की परत को हटाना, सतहों की तैयारी पुटी भरकर समतल सतह बनाना। अनुमोदित मेक का बेस कोट प्राइमर प्रदान करना और लगाना तथा दीवारों को आवश्यक रंग की मंजूर निर्माता और रंग के अनुसार 2 या अधिक कोट बाहरी एमल्शन पेंट से , जैसे दीवारें, बीम, स्तंभ, कैनोपी, सीढ़ियाँ, लॉबी आदि, स्कैफोल्डिंग आदि सहित सतहों को फिनिश करना। सभी कार्य निर्देशानुसार और विनिर्देशों के अनुसार पूर्ण किए जाने हैं।</p>	320	वर्गमीटर
27	टेक्सचर पेंट		
	<p>पेंट की मौजूदा परत को स्क्रेप करना, समान सतह बनाने के लिए पोटीन भरकर सतहों की तैयारी। अनुमोदित निर्माण के प्राइमर का बेस कोट प्रदान करना और लागू करना और अनुमोदित टेक्सचर पेंट / डिजाइन आदि के अंतिम कोट लागू करना, सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पूरा करना है। इस दर में टेक्सचर पेंट करने के लिए आवश्यक स्टेंसिल, टूल्स, ब्रश, पेंट, लेबर, स्कैफोल्डिंग आदि शामिल होंगे। (टेक्सचर पेंट की मूल दर जीएसटी को छोड़कर 600 रुपये है)। मूल दर में पेंट की लागत, श्रम, लाभ आदि शामिल होंगे।</p>	25	वर्गमीटर
28	लकड़ी की अलमारी		

	बीडब्ल्यूपी प्रदान करके 1.05 मीटर x 2.00 मीटर x 0.600 मीटर (लगभग) समग्र आकार की एक लकड़ी की अलमारी प्रदान करना और स्थिति में रखना विभिन्न प्लैटों की तरह मौजूदा डिजाइन के अनुसार अनुमोदित गुणवत्ता (ब्लॉक बोर्ड / प्लाई वुड) और पहली गुणवत्ता वाली सागौन की लकड़ी और अन्य हार्डवेयर सामग्री आदि बनाना। अलमारी निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा:	9	no
	a) अलमारी का बाहरी संरचना [तीन ऊर्ध्वाधर और दो क्षैतिज (ऊपर और नीचे)] अनुमोदित गुणवत्ता के 19 मिमी मोटे ब्लॉक बोर्ड (ग्रीन प्लाई, सेंचुरी या समकक्ष) द्वारा बनाया जाएगा।		
	b) बैक वर्टिकल मेंबर अनुमोदित गुणवत्ता के 6 मिमी डब्ल्यूपीसी द्वारा बनाया जाएगा		
	c) चार नग अलमारियों आदि के रूप में क्षैतिज सदस्यों को 19 मिमी मोटे ब्लॉक बोर्ड के साथ बनाया जा सकता है।		
	d) दो ट्रे (लगभग आकार 450 x 120 मिमी) और दो खोलने योग्य दराज़ (सामने का हिस्सा लैमिनेट्स से फिनिश किया जाए) जिनका आकार 550 x 150 मिमी है, जो विभिन्न प्लैटों में मौजूद के अनुसार 12 मिमी/6 मिमी मोटाई की प्लाईवुड से निर्देशानुसार बनाए जाएं।		
	e) 50 x 40 मिमी के के टुकड़े का फ्रेम, प्रथम श्रेणी के CP सागौन लकड़ी की आपूर्ति और लगाना, जो अलमारी के साथ लगाया जाएगा ताकि दोहरे पत्ते वाले शटर प्रदान किए जा सकें (2 क्षैतिज और 2 लंबवत)।		
	f) 19 मिमी मोटाई के ब्लॉक बोर्ड शटर की आपूर्ति और लगाना, दो पत्तों में, दोनों ओर 1 मिमी मोटाई के लैमिनेट की आपूर्ति सहित और 12 मिमी मोटाई की सागौन लकड़ी की लिपिंग आदि, निर्देशानुसार पूर्ण।		
	g) अलमारी के सभी बाहरी हिस्सों को 1 मिमी मोटाई के लैमिनेट से और आंतरिक सतहों को अनुमोदित निर्माता और रंग के 0.8 मिमी लैमिनेट से प्रदान किया जाएगा।		
	h) दर में लकड़ी के कवर मोल्ड (चारों ओर) और सभी हार्डवेयर फिटिंग्स जैसे 6 इंच लंबा पीतल का टॉवर बोल्ट, बॉल कैचर, 4 इंच पीतल का हैंडल, मुख्य दरवाजे और ड्रॉवर पर गोदरेज लॉक, 6 नंबर 3 इंच लंबे पीतल के हिंज, 20 मिमी व्यास का रेशम छड़ी और सॉकेट, सनकन टाइप पीतल ऑक्सीडाइज्ड हैंडल, अलमारी के लिए टेलीस्कोपिक चैनल आदि की लागत शामिल होगी, जैसा कि निर्देशानुसार आवश्यक हो।		
29	रिबेट (छूट देना)		
	बैंक इंजीनियर द्वारा निर्देशित विघटित सामग्री जैसे WC पैन, पुराना GI, वॉश बेसिन, पेलमेट रॉड, प्लंबिंग और सैनिटरी फिटिंग्स एवं फिक्सचर, WC दरवाजे की शटर, वॉर्डरोब शटर और पार्टीशन आदि को बाहर निकालने के लिए रिबेट	-9	no